

इकाई 5 : अन्य साधनों से आय

(UNIT 5 : INCOME FROM OTHER SOURCES)

सीखने के परिणाम (Learning Outcomes)

इस इकाई के अन्त में, आप सक्षम होंगे :

- ❑ आय को पहचानना, जो "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अधीन कर के लिए आदेय है।
- ❑ बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए राशि और सम्पत्ति की प्राप्ति की लेनदेन को यह निर्धारित करने के लिए जांच करना कि क्या ऐसी प्राप्ति इस शीर्षक के अधीन कर के लिए आदेय है या नहीं।
- ❑ इस शीर्षक के तहत आय की गणना के समय जानना कि स्वीकार्य कटौती क्या है?
- ❑ इस शीर्षक के तहत आय की गणना के समय जानना कि अस्वीकार्य कटौती क्या है ?
- ❑ आकस्मिक आय पर कर की गणना करना ऐसी आय पर लागू कर की दर लगाकर।
- ❑ इस शीर्षक के अधीन कर के लिए आदेय आय की गणना करना।

‘अन्य साधनों से आय’ की गणना करने का दर्शनार्थ
(Proforma for computation of "Income from Other Sources")

	विवरण	मूल्य
(i)	लाभांश (dividend) आय (पृष्ठ 4.424) के चित्र से संबंध रखें	XXX
(ii)	अस्थिर आय (लौटारियों, वर्ग-पहेलियों, दौड़ जैसे कि घुड़दौड़, ताश के खेल तथा अन्य खेल, जुआ, शर्त आदि से जीतना)	XXX
(iii)	एकाधिकारवत् कम्पनी के शेयरों की FMV से अधिक मुआवजा प्राप्त होना, जहाँ शेयर अधिमूल्य पर जारी किये गए हों [धारा 56 (2) (viib)]	XXX
(iv)	मुआवजा/बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज प्राप्त होना जहाँ वह ब्याज उस वर्ष की आय मानी जाएगी [धारा 56 (2) (viii)]	XXX
(v)	पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण समझौते के असफल होने पर जब्त हुआ अग्रिम धन [धारा 56(2)(ix)]	XXX
(vi)	किसी व्यक्ति से प्राप्त हुआ धन या सम्पत्ति [धारा 56 (2) (X)]	XXX
(vii)	किसी व्यक्ति को देय या प्राप्त हुआ मुआवजा या अन्य भुगतान उसके रोजगार के अन्त या उससे सम्बन्धित नियम एवं शर्तों में बदलाव के कारण [धारा 56 (2) (xi)]	XXX
(viii)	निम्नलिखित आय यदि वह "व्यापार या पेशे के मुनाफे या लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आदेय नहीं है	
	(a) स्वामी द्वारा कर्मचारी से राशि प्राप्त करना कर्मचारी के हित के लिए बनाई गई भविष्य निधि में योगदान करने के लिए	XXX
	(b) बहूमूल्य कागज पर ब्याज	XXX
	(c) उपकरण, कारखाना या फर्नीचर को किराये पर देने की आय	XXX
	(d) किराये से होने वाली आय जहाँ भवन को किराये पर देना उपकरण कारखाना या फर्नीचर को किराये पर देने से अलग नहीं किया जा सकता	XXX
	(e) मुख्य आदमी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त मूल्य जिसमें कथित पॉलिसी पर प्राप्त लाभ सम्मिलित है (यदि वह वेतन शीर्षक में भी कर आदेय नहीं है)	XXX
(ix)	कानून के अंतर्गत कर के लिए आदेय कोई आय, परन्तु वह आय के किसी अन्य शीर्षक में नहीं आना चाहिए।	XXX
(x)	धारा 59 के अंतर्गत अनुमानित आय-व्यापारिक देयता में घटाव या अंत या नुकसान या खर्चे से संबंधित प्राप्ति जिसकी पूर्व PY में कटौती मिली हो	XXX
		XXX

	घटाया : स्वीकार्य कटौतियाँ (धारा 57)		
(a)	लाभांश (धारा 115-O के अंतर्गत लाभांश के अतिरिक्त) या बहुमूल्य कागज पर ब्याज की स्थिति में – महाजन (बैंकर) या अन्य व्यक्ति को कमीशन या मेहनताना के रूप में राशि का भुगतान करना	XXX	
(b)	कर्मचारियों से वापसी भविष्य निधि, अधिवार्षिक निधि आदि में योगदान के रूप में आय – धारा 36 (1) (va) के प्रावधान के अनुसार योगदान किए गए मूल्य को वापस करना संबंधित कानूनों में दी गई देय तिथि से पहले	XXX	
(c)	उपकरण, कारखाना तथा फर्नीचर को भवन या भवन के बिना किराए पर देने से होने वाली आय – उपकरण, कारखाना, फर्नीचर या भवन की जारी मरम्मत – बीमा अधिमूल्य – घटाव/अनावशोषित घटाव	XXX	
(d)	परिवार पेन्शन – कथित आय का 33 ¹ / ₃ % या ₹ 15,000, जो भी कम हो	XXX	
(e)	प्राप्त हुए मुआवजे/बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज-ब्याज का 50%	XXX	
(f)	कथित आय को पूर्णतः तथा विशिष्ट रूप से कमाने के लिए पूँजीगत व्यय के रूप में किया गया खर्चा	XXX	XXX
	अन्य साधनों से आय		XXX

अस्वीकार्य कटौतियाँ (धारा 58) [Deductions not allowable (Section 58)]			
(a)	निर्धारित के निजी खर्चे।		
(b)	भारत के बाहर भुगतान करने योग्य कानून के अंतर्गत कर आदेय ब्याज जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया हो या स्रोत पर नहीं काटा गया हो।		
(c)	'वेतन' शीर्षक के भीतर कर आदेय भुगतान, यदि वह भारत के बाहर भुगतान करने योग्य हो परन्तु उस पर कर का भुगतान हो गया हो या स्रोत पर कटौती की गई हो।		
(d)	निवासी को भुगतान किए गए मूल्य का 30% जिसके स्रोत पर कर की कटौती की गई है यदि उस कर की कटौती नहीं की गई हो या कटौती करने के बाद धारा 139 (1) में निर्धारित विवरण की देय तिथि पर या उससे पहले उसका भुगतान नहीं किया गया हो।		
(e)	कोई खर्चा जिस पर आधारित भुगतान किसी सम्बन्धित व्यक्ति को किया गया हो, उस सीमा तक जिसे निर्धारण अधिकारी FMV के संबंध में अधिक या अनुचित मानता हो।		
(f)	कोई खर्चा जिस पर आधारित भुगतान या कुल भुगतान ₹ 10,000 से अधिक किसी व्यक्ति को एक दिन में किया हो आदाता खाता चेक (account payee cheque) / बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाता द्वारा ECS या ऐसे अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त।		

अन्य साधनों से आय पर कर (Tax on income from other sources)

आय	कर दर तथा शर्तें
अस्थिर आय (Casual income)	<p>जीत का 30% (इसके अतिरिक्त अधिशुल्क से बढ़ाना, यदि लागू हो तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर 4% पर)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कथित आय से कोई खर्चा या भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ➤ अध्याय VI-A के अंतर्गत की कटौती कथित आय से स्वीकार्य नहीं होगी ➤ असमाप्त मूल छूट दर का अनुकूलन कथित आय से करना स्वीकार्य नहीं है ➤ नुकसान की भरपाई कथित आय से स्वीकार्य नहीं है
विस्तृत निर्धारिती जो निवासी है, उसे ₹ 10 लाख से अधिक का कुल लाभांश प्राप्त होना 'विस्तृत निर्धारिती' (Specified Assessee)—घरेलू कम्पनी, निधि/ संस्था/ संगठन (trust) कोई महाविद्यालय/अन्य शिक्षा संस्था/कोई अस्पताल/अन्य चिकित्सा ¹ /या दानी या धार्मिक संगठन या संस्था ² के अतिरिक्त कोई व्यक्ति	<p>₹ 10 लाख से अधिक का 10% (इसके अतिरिक्त अधिशुल्क से बढ़ाना, यदि लागू हो, तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर 4% पर)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कथित आय से कोई खर्चा या भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। ➤ नुकसान की भरपाई कथित आय से स्वीकार्य नहीं है।
अस्पष्ट नकदी ऋण/निवेश/ धन, सोना, चाँदी, आभूषण आदि। खर्चा आदि [धारा 68 तथा धारा 69 से 69 D का संदर्भ रखें	<p>आय का 60% तथा कर का 25% अधिशुल्क (प्रभावी कर दर 78% स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 4% पर सम्मिलित)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कथित आय से कोई खर्चा या भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ➤ नुकसान की भरपाई कथित आय से स्वीकार्य नहीं है
अन्य आय	साधारण कर दरें

5.1 परिचय (Introduction)

निर्धारिती की कुल आय में शामिल कोई भी आय, मुनाफा या लाभ, जिन्हें आय के किसी भी पहले शीर्षक के तहत शामिल नहीं किया जा सकता, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक में आदेय है। इस प्रकार, यह शीर्षक आय पर अवशिष्ट प्रमुख है और अपने दायरे में निर्धारिती की सभी कर योग्य आय, मुनाफा या लाभों को लाता है जो किसी भी अन्य शीर्षक के दायरे से बाहर होते हैं। इसलिए, जब कोई आय, मुनाफा या लाभ किसी अन्य विशिष्ट शीर्षक के तहत विधिपूर्वक नहीं आते हैं, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभाय है, तो इस शीर्षक के तहत आदेय किये जायेंगे।

¹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) में संदर्भित

² आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत

5.2 इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय [धारा 56] [Incomes Chargeable Under this Head (Section 56)]

(i) केवल "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत कर योग्य आय।

(1) लाभांश आय (Dividend Income) [धारा 56(2)(i)]

अधिनियम में उपयोग किया गया शब्द "लाभांश" का सामान्य कानून के तहत से व्यापक विस्तार और अर्थ है।

लाभांश धारा 2(22) (a) से (e) के अन्तर्गत,

धारा 2(22) के अनुसार, निम्नलिखित प्राप्तियों को लाभांश समझा जाता है :

(a) **कम्पनी की परिसम्पत्तियों के विमोचन की माँग करने पर संचित मुनाफे का वितरण**—कम्पनी द्वारा अपने अंशधारकों को संचित लाभों का कोई भी वितरण, चाहे वह पूंजीकृत है या नहीं लाभांश है यदि यह अपनी परिसम्पत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से के विमोचन पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, यदि संचित लाभ को रोकड़ में वितरित किया जाता है, तो यह अंशधारकों के हाथों में लाभांश है। जहाँ संचित लाभ वस्तु में वितरित किया जाता है, उदाहरण के लिए, कम्पनी की सम्पत्ति के मोचन पर जोर देता हुआ अंशों का वितरण आदि, ऐसे वितरण की तिथि पर ऐसे अंशों की बाजार मूल्य अंशधारक के हाथों में लाभांश समझा जाता है।

(b) **अंशधारकों को ऋणपत्रों, जमा प्रमाण पत्र और पूर्वाधिकारी अंशधारकों को बोनस अंशों का वितरण**—कम्पनी द्वारा अंशधारक को किसी भी रूप में ऋणपत्र स्टॉक या जमा प्रमाण पत्र, चाहे ब्याज के साथ या बिना का वितरण और बोनस अंशों का पूर्वाधिकारी अंशधारकों को वितरण, उस सीमा तक जिस तक कम्पनी के पास संचित लाभ है, चाहे पूंजीकृत हो या नहीं लाभांश समझा जायेगा।

ऐसे बोनस अंशों की बाजार मूल्य पूर्वाधिकारी अंशधारक के हाथ में कर योग्य है।

ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक आदि के मामले में, उनके मूल्य को बाजार दर पर लिया जायेगा और यदि कोई बाजार मूल्य नहीं है तो उन्हें मूल्यांकन के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

नोट : समता अंशधारक को दिए गये बोनस अंश को लाभांश नहीं माना जाता है।

(c) **परिसमापन पर वितरण** : कम्पनी द्वारा अंशधारक को उसके परिसमापन पर कोई भी वितरण को, जिस सीमा तक वितरण परिसमापन से पहले कम्पनी के संचित लाभ के कारण होता है, चाहे पूंजीकृत हो या नहीं, लाभांश आय माना जाता है।

नोट : परिसमापन की तिथि के बाद कम्पनी के मुनाफे में किया गया कोई भी वितरण लाभांश नहीं हो सकता है। यह पूंजी के प्रति पुनर्भुगतान है।

(d) **पूंजी की कमी पर वितरण** : कम्पनी द्वारा अपने अंशधारक को अपनी पूंजी की कमी पर कोई भी वितरण उस सीमा तक जिस तक कम्पनी के पास संचित लाभ है, लाभांश माना जायेगा।

(e) **निकटवर्ती कम्पनी द्वारा अपने अंशधारक को अग्रिम या ऋण** : कम्पनी जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध नहीं है द्वारा अंशधारक को राशि का कोई भी भुगतान जो

कम्पनी की समता अंश पूंजी का 10% या अधिक का मालिक है समता लाभ की सीमा तक लाभांश माना जायेगा। यदि ऋण संचित लाभ के अन्तर्गत नहीं आता है, तो इसे लाभांश नहीं माना जाता है।

निकटवर्ती कम्पनी द्वारा विशेष संस्था को अग्रिम या ऋण : कम्पनी जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध नहीं है द्वारा किसी संस्था (यानी, एचयूएफ/फर्म/एओपी/बीओआई/कम्पनी) को कोई भी भुगतान जिसमें समता अंशों का कम-से-कम 10% का हितकारी स्वामित्व वाला अंशधारक सदस्य या साझेदार है और जिसमें उसका पर्याप्त हित है (यानि संस्था की आय का कम-से-कम 20% हिस्सा) लाभांश माना जायेगा।

इसके अलावा, ऐसे किसी अंशधारक की ओर से या उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए निकटवर्ती कम्पनी द्वारा किसी भी भुगतान को लाभांश माना जायेगा। हालांकि, दोनों ही मामले में, लाभांश की उच्चतम सीमा दर संचित लाभ की सीमा तक है।

अपवाद : दिए गए निम्नलिखित भुगतान या ऋण को लाभांश के रूप में नहीं माना जायेगा :

- (i) अगर ऋण अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में दिया जाता है और धन को उधार देना कम्पनी के व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अंशधारक या विशिष्ट संस्था को ऋण या अग्रिम को लाभांश नहीं माना जाता है।
- (ii) जहाँ ऋण को लाभांश के रूप में माना जाता था और बाद में, कम्पनी ऋणदान अंशधारक सहित अपने सभी अंशधारक को लाभांश घोषित और वितरित करती है और भुगतान किया हुआ लाभांश कम्पनी द्वारा पिछले उधार के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाता है तो समायोजित राशि को फिर से लाभांश के रूप में नहीं माना जायेगा।

अन्य अपवाद :

उपर्युक्त अपवादों के अलावा निम्नलिखित से "लाभांश" संस्थापित नहीं होता है—

- (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956³ की धारा 77A के अनुसार, किसी अंशधारक से अपने अंशों के क्रय पर किसी कम्पनी द्वारा किया गया कोई भुगतान;
- (iv) डिमर्जर पर परिणामी कम्पनी द्वारा डिमर्जर कम्पनी के अंशधारक को अंशों का कोई भी वितरण (चाहे डिमर्जर कम्पनी की अंश पूंजी में कमी हो या नहीं);

'पुंजित लाभों' से अभिप्राय (Meaning of "accumulated profits")

बिंदु (a), (b), (d) तथा (e) में दिए पुंजित लाभों में लाभांश को कम्पनी द्वारा बाँटने या भुगतान करने की तिथि तक के सभी लाभ सम्मिलित हैं।

बिंदु (c) में दिए पुंजित लाभों में कम्पनी के दिवाला होने तक के सभी पूंजी में परिणत लाभ या अन्य लाभ सम्मिलित हैं। परन्तु दिवाला आदि सरकार के उपक्रम या सरकार द्वारा अधिकारिक या

³ Now section 58 of the Companies Act, 2013

नियंत्रित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक संकलन के रूप में किया गया हो तब संकलन के वर्ष से तुरंत पहले के 3 पूर्व वर्षों के पहले के लाभ पूंजित लाभों में नहीं लिए जाएंगे।

समामेलित कंपनी (amalgamated company) की स्थिति में समामेलित कंपनी, पूंजित लाभ, जो पूँजी में परिणत हो या नहीं, समामेलन के दिन पर इकट्ठे लाभों को सम्मिलित करते हैं जो पूँजीगत हो या नहीं या नुकसान हो, जैसी भी स्थिति हो।

धारा 2(22) (e) के अंतर्गत व्यापार अग्रिम राशि को अनुमानित आय न समझने पर स्पष्टीकरण—(परिपत्र संख्या 19/2017, तारीख 12.06.2017)

(Clarification regarding trade advance not to be treated as deemed dividend under section 2(22) (e) —[Circular No. 19/2017, dated 12.06.2017]

धारा 2(22) (e) प्रदान करता है कि लाभांश अपने में सम्मिलित करता है कम्पनी के द्वारा भुगतान जिसमें जनता का मूलतः हितपरायण न हो, शेयर धारक को अग्रिम राशि या ऋण के रूप में जिसमें धारक लाभकारी स्वामी हो 10% के या उससे अधिक के मतदान अधिकार के साथ, या संस्था को भुगतान जिसमें शेयर धारक सदस्य या साझीदार हो तथा धारक का मूलतः हितपरायण हो या कम्पनी द्वारा शेयर धारक की तरफ से या उसके हित के लिए किया गया भुगतान, किसी भी स्थिति में उस सीमा तक जितना कम्पनी के पास एकत्रित मुनाफा हो।

CBDT द्वारा देखा गया है कि कुछ समय से बहुत से न्यायालय व्यापार अग्रिम राशि जो व्यावसायिक लेन-देन के रूप में उन्हें धारा 2(22) (e) के प्रावधानों की सीमा के अधीन नहीं मानते तथा इन मतों को अंतिम मान लिया गया है।

उपर्युक्त दिए गए विचार के अनुसार, CBDT ने अपने परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है यह निश्चित स्थिति है कि व्यापारिक अग्रिम राशि जो व्यावसायिक लेन-देन के रूप में है वह धारा 2(22) (c) में 'अग्रिम' शब्द के अधीन नहीं मानी जाएगी तथा अतः वह अनुमानित लाभांश नहीं माना जाएगा।

लाभांश प्रभार का मूल (Basis of charge of dividend)

कोई भी आय जो धारा 115-O में लाभांश के रूप में दिखाई गई है वह शेयर धारक की कुल आय से बाहर रखी जाएगी [धारा 10(34)] धारा 115-O के अंतर्गत, कोई भी लाभांश जो घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान किया हो वर्तमान या इकट्ठे लाभ से वह कंपनी की आय पर आदेय साधारण कर के अतिरिक्त 15% के अतिरिक्त समान दर के लिए आदेय होगा। यह संगठित लाभांश कर कहा जाता है। **यद्यपि संगठित लाभांश कर धारा 2(22) (e) में दिए अनुमानित लाभांश पर 30% लगेगा।**

घरेलू कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कम्पनी से प्राप्त हुआ लाभांश शेयर धारक के हाथ में अभी भी कर योग्य होगा। उदाहरण के लिए, विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर शेयर धारक के कर अधीन है।

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए, धारा 10(34) में दी गई छूट धारा 115BBDA के प्रावधान अनुसार कर अधीन लाभांश आय पर नहीं मिलेगी यद्यपि उस लाभांश पर घरेलू कम्पनी द्वारा लाभांश वितरण कर का भुगतान कर दिया गया हो।

उदाहरण (Illustration) 1

राहुल कम्पनी में 28% समता अंश वाले अंशधारक ने उसी कम्पनी से ₹ 5,00,000 का ऋण लिया। ऋण देने की तिथि पर, कम्पनी ने ₹ 4,00,000 का लाभ अर्जित किया था। कम्पनी कुछ विनिर्माण गतिविधियों में लगी हुई है।

- (i) क्या राहुल के हाथों में ऋण की राशि लाभांश के रूप में कर योग्य है, यदि कम्पनी ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध है ?
- (ii) आपका क्या उत्तर होता, यदि ऋणी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है (यानि ऐसी कम्पनी जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध नहीं है) ?

हल (Solution)

कम्पनी जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध है के अलावा कम्पनी के द्वारा समता अंशधारक जो ऐसा व्यक्ति है जो मतदान शक्ति का कम-से-कम 10% को हितकारी मालिक है को अग्रिम या ऋण के द्वारा किसी भी भुगतान को धारा 2(22)(e) के तहत लाभांश माना जाता है उस सीमा तक जहाँ तक कम्पनी के पास संचित लाभ है।

- (i) धारा 2(22) (e) के प्रावधान, हालांकि लागू नहीं होंगे जहाँ ऋण ऐसी कम्पनी द्वारा दिया जाता है जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध है। ऐसे मामले में, ऋण राहुल के हाथों में माना जाने वाला लाभांश के रूप में कर योग्य नहीं होगा।
- (ii) हालांकि, यदि ऋण किसी प्राइवेट कम्पनी से लिया जाता है (यानि कम्पनी जिसमें जनता मूलतः हितबद्ध नहीं है), जो एक विनिर्माण कम्पनी है और वो कम्पनी नहीं जहाँ राशि को उधार देना व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तब धारा 2(22) (e) के प्रावधान आकर्षित होंगे, क्योंकि राहुल कम्पनी में समता अंशों का 10% से अधिक धारित करता है।

हालांकि, माना जाने वाला लाभांश के रूप में आदेय राशि ऋण देने की तिथि पर कम्पनी द्वारा धारित संचित लाभ से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए, राहुल के हाथों में समझा जाने वाले लाभांश के रूप में कर योग्य राशि संचित लाभ तक सीमित होगी यानि, ₹ 4,00,000 और ऋण की राशि नहीं जो ₹ 5,00,000 है।

घरेलू कम्पनियों से प्राप्त कुल लाभांश पर कर [धारा 115 BBDA] [Tax on Certain Dividend received from domestic companies {section (115 BBDA)}]

- (i) 10 लाख से अधिक कुल लाभांश के द्वारा कोई भी आय 10% की दर से भारत में निवासी निर्दिष्ट निर्धारिती के मामले में कर के लिए योग्य होगी। (आगे, अधिभार द्वारा बढ़ जाएगा, यदि लागू हो, और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%)

(ii) कुछ शब्दों का आशय

शब्द	आशय
निर्दिष्ट निर्धारिती	व्यक्ति अलावा > घरेलू कम्पनी > कोष या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल का अन्य चिकित्सा संस्थान ⁴ > न्यास या संस्थान ⁵
लाभांश	> धारा 2(22) (a) To (d) के तहत संदर्भित लाभांश शामिल है लेकिन इसके उप-खंड (e) शामिल नहीं है।

- (iii) इसके अलावा, 10 लाख से अधिक की लाभांश आय, सकल आधार पर होगा अर्थात् किसी भी व्यय का कराधार भत्ता या नुकसान के समायोजन के संबंध में निर्धारिती को लाभांश के माध्यम से आय की गणना में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) तदनुसार, घरेलू कम्पनी से अंशधारक द्वारा प्राप्त लाभांश के संबंध में, धारा 10(34) के तहत उपलब्ध छूट धारा 115 BBDA के तहत लाभांश के द्वारा करयोग्य आय पर लागू नहीं होगा।

उदाहरण (Illustration) 2

A लि. घरेलू कम्पनी ने F/Y 2018-19 के लिए ₹ 170 लाख का लाभांश घोषित किया और उसे 10.7.2019 को वितरित किया। A लि. में 10% अंश धारित करने वाले X जुलाई, 2019 में ₹ 17 लाख का लाभांश प्राप्त करते हैं। A लि. में 5% अंश धारित करने वाले श्री Y ₹ 8.50 लाख का लाभांश प्राप्त करते हैं। श्री X और श्री Y के हाथों में कर के प्रभावों पर विचार करें, यह मानते हुए कि श्री X और Y ने वर्ष के दौरान किसी अन्य घरेलू कम्पनी से लाभांश प्राप्त नहीं किया है।


हल (Solution)

- (i) P.Y. 2019-20 में घोषित और वितरित ₹ 170 लाख का लाभांश A लि. के हाथों में धारा 115-O के तहत लाभांश वितरण कर के अधीन है।
- (ii) श्री X के हाथों में, ₹ 10 लाख तक के प्राप्त लाभांश को धारा 10(34) में छूट दी जाएगी। 10 लाख से अधिक का लाभांश ₹ 7 लाख धारा 115BBDA के अनुसार 10% की दर से कर योग्य होगा। इस तरह का लाभांश को धारा 10(34) के तहत छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए, धारा 115BBDA के तहत ₹ 7 लाख के लाभांश पर श्री X के द्वारा देय कर 72,800 [यानि ₹ 7 लाख का 10% + 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर] होगा।
- (iii) श्री Y के हाथों में, ₹ 8.50 लाख का प्राप्त पूर्ण लाभांश को धारा 10(34) के तहत छूट दी जाएगी, क्योंकि केवल 10 लाख से अधिक का प्राप्त लाभांश ही धारा 115BBDA के तहत कर योग्य होगा।

⁴ धारा 10(23c) (iv)/(v)/(vi)/(via) में संदर्भित

⁵ धारा 12A या 12AA के तहत पंजीकृत

अंशधारक के हाथ में लाभांश की आदेयिता



(2) आकस्मिक आय [धारा 56(2)(ib)] [Casual Income (Section 56(2)(ib))]

आकस्मिक आय का आशय लॉटरी क्रासवर्ड पजिल्स, दौड़े जिसमें शामिल है घुड़दौड़, ताश के खेल, अन्य कोई खेल, कोई शर्त या जुआ आदि से जीत की राशि के स्वभाव की आय है। ऐसी जीत की राशि धारा 115BB के अधीन 30% की दर से कर योग्य होती है।

(3) एकाधिकारवत् कम्पनी द्वारा जारी शेयरों पर FMV से अधिक प्राप्त हुए मुआवजे को कम्पनी की आय माना जाएगा यदि शेयर अधिमूल्य पर जारी हुए हैं [धारा 56(2) (viib)] [Consideration received in excess of FMV of shares issued by closely held company to be treated as income of such company where shares are issued at a premium (section 56 (2) (viib))]

- (i) कम्पनी जिनमें लोगों का मूलतः हितपरायण है उन्हें छोड़कर निवासी व्यक्ति को कम्पनी से मुआवजा प्राप्त होता है तब शेयर⁶ के उचित बाजार मूल्य से अधिक मुआवजे पर धारा 56 (2) (viib) में कर लगाया जाएगा।
- (ii) उन-स्थितियों में जहाँ मुआवजा शेयर के उचित बाजार मूल्य से अधिक है अर्थात् जहाँ शेयर अधिमूल्य पर जारी हुआ है वहाँ अधिक मूल्य को एकाधिकारवत् कम्पनी (closely held company) की आय माना जाएगा जो धारा 56(2) में कर योग्य होगा "अन्य साधनों की आय" शीर्षक के भीतर।
- (iii) उचित बाजार मूल्य शेयर का निम्न में से जो ज्यादा होगा वह माना जाएगा जिसका मूल्य
- (a) निर्धारित नियम के अनुसार निश्चित किया जाए, या
- (b) शेयर जारी करने की तिथि पर सम्पत्ति मूल्य पर आधारित, जिसे कम्पनी द्वारा निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रमाणित किया गया हो।

FMV की गणना के लिए, सम्पत्ति के मूल्य में अमूर्त आस्तियों (intangible assets) का मूल्य जैसे कि ख्याति, अनुभव, अधिकार पत्र, सर्वाधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, मताधिकार या अन्य व्यवसाय या समान रूप के व्यवसायिक अधिकार।

उदाहरण :

कम्पनी	शेयर की संख्या	शेयर के अंकित मूल्य	शेयर की FMV	शेयर को जारी करने का दाम	धारा 56 (2) (viib) उपयुक्तता
A(P) Ltd.	10,000	100	120	130	धारा 56 (2) (vii b) के प्रावधान इस स्थिति में लागू होंगे क्योंकि शेयर अधिमूल्य पर जारी हुए हैं (अर्थात् शेयर का जारी मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक है) शेयर की FMV से अधिक जारी मूल्य धारा 56 (2) (vii b) में कर योग्य होगा। ₹ 1,00,000 [10,000 × 10 (₹ 130 – 120)] A (P) Ltd के लिए आय मानी जाएगी।
B (P) Ltd	20,000	100	120	110	धारा 56 (2) (vii b) का प्रावधान इस स्थिति में लागू होगा क्योंकि शेयर अधिमूल्य पर जारी हुआ है। हालांकि, कथित धारा में B(P) Ltd.

⁶ हालांकि, यह प्रावधान लागू नहीं होंगे जहाँ अंशों को जारी करने पर प्रतिफल प्राप्त होता है :

- (1) उद्यम पूँजी कम्पनी या उद्यम पूँजी कोष या निर्दिष्ट कोष से उद्यम पूँजी उपक्रम द्वारा; या
- (2) कम्पनी द्वारा व्यक्तियों की श्रेणियाँ/श्रेणी से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित इस उद्देश्य के लिए। यह अपवाद विस्तृत में अन्तिम स्तर पर संदर्भित होगा।

					के लिए कोई मूल्य करयोग्य नहीं होगा क्योंकि शेयर FMV से कम पर जारी किए गए हैं।
C (P) Ltd	30000	100	90	98	धारा 56(2)(viib) लागू नहीं होगा क्योंकि शेयर छूट पर जारी किया गया है हालांकि जारी मूल्य FMV से अधिक है।
D (P) Ltd	40000	100	90	110	धारा 56(2)(viib) के प्रावधान इस स्थिति में लागू होंगे क्योंकि शेयर अधिमूल्य पर जारी हुए हैं शेयर के FMV से अधिक जारी मूल्य धारा 56 (2) (vii b) में कर योग्य होगा। ₹ 8,00,000 [40,000 × 20 (110 – 90)] D(P) Ltd. के लिए आय मानी जाएगी।

- (4) प्रतिफल/बढ़े हुए प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज को प्रति वर्ष में आय माना जाएगा तथा 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगा [धारा 56 (2) (viii)] {Interest received on compensation/enhanced compensation deemed to be income in the year of receipt and taxable under the head "income from other sources" [sections 56 (2) (viii)]}
- (i) धारा 145 (1) के अनुसार, "व्यापार या पेशे के मुनाफे तथा लाभ" शीर्षक या "अन्य साधनों से आय" में आदेय आय नकद या लेखाविधि की व्यापारिक प्रणाली के आधार पर निकाली जा सकती है जिसे निर्धारिती द्वारा नियमित प्रयुक्त किया जाएगा।
- (ii) धारा 145B (1) कहता है कि धारा 145 (1) को ध्यान में न रखते हुए, मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त ब्याज को प्राप्त किए गए वर्ष में आय मान लिया जाएगा, निर्धारिती द्वारा प्रयोग की जा रही लेखाविधि प्रणाली को ध्यान में न रखते हुए।
- (iii) धारा 56 (2) (viii) कहता है कि धारा 145B (1) में बताए गए मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज 'अन्य साधनों से आय' के भीतर आय मानी जाएगी जिस वर्ष वह प्राप्त हुई है।
- (5) पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण समझौते के असफल होने पर जब्त हुआ अग्रिम धन "अन्य साधनों से आय" में कर योग्य होगा [धारा 56 (2) (ix)] {Advance forfeited due to failure of negotiations for transfer of a capital asset to be taxable as "Income from other sources" [section 56 (2) (ix)]}
- (i) A.Y. 2015-16 से पहले, समर्पण समझौते से संबंधित अग्रिम धन रोक लिया जाता है या प्राप्त होता परन्तु वह समझौता होने से पहले असफल हो जाता है तो वह धन धारा 51 में समर्पण पर उत्पन्न होने वाले पूँजीगत लाभ के समय सम्पत्ति को प्राप्त

करने के दाम या ह्रासित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कम की जाएगी। यदि समर्पण गयी सम्पत्ति दीर्घावधि पूँजीगत सम्पत्ति है, तो सूचीकरण लाभ कम किए गए दाम पर मिलेगा।

- (ii) A.Y. 2015-16 से, धारा 56 (2) (ix) पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण पर प्राप्त अग्रिम धन या अन्य राशि पर कर योग्यता बताता है। यदि वह धन जब्त कर लिया गया है तथा समझौता पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण में नहीं बदलता तो वह अन्य साधनों की आय में आय-कर के अधीन होगा।
- (iii) प्राप्त किए गए तथा रखे गए अग्रिम धन पर दोहरा कर लगने से रोकने के लिए धारा 51 को संशोधित किया गया है यह कहने के लिए यदि पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण समझौते के दौरान प्राप्त हुआ धन जो अग्रिम या अन्य रूप में हो वह धारा 56 (2) (ix) के अनुसार पूर्व वर्ष में निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित किया गया हो तो वह राशि सम्पत्ति के प्राप्त करने के दाम या ह्रासित मूल्य या उचित बाजार मूल्य जैसी भी स्थिति हो, से नहीं काटी जाएगी अधिग्रहण लागत निकालने के लिए।
- (iv) यह ध्यान रखा जाए कि 31.3.2014 तक का प्राप्त हुआ तथा जब्त किया गया अग्रिम धन अधिग्रहण लागत से कम किया जाएगा पूँजीगत लाभ निकालने के लिए क्योंकि वह अग्रिम धन धारा 56 (2) (ix) के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। सिर्फ 1.4.2014 को या उसके बाद प्राप्त तथा जब्त किया गया अग्रिम धन ही धारा 56 (2) (ix) में करयोग्य है। अंततः वह अग्रिम धन पूँजीगत लाभ निकालने के लिए अधिग्रहण लागत से कम नहीं किया जाएगा।
- (6) **बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त कोई भी राशि या सम्पत्ति का मूल्य प्राप्तकर्ता के हाथों में कर के लिए अधीन है [धारा 56(2)(x)][Any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be subject to tax in the hands of the recipient {Section 56(2)(x)}]**
- (i) बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए धन या सम्पत्ति की राशि प्राप्त करने के कार्य को रोकने के लिए, धारा 56(2)(x) किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई कोई भी राशि या सम्पत्ति का मूल्य या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त किसी भी सम्पत्ति के मूल्य पर कर लगाता है।
- (ii) **धनराशि :** यदि कोई धनराशि बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है और उसका कुल मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है तो इस तरह की राशि का संपूर्ण कुल मूल्य कर योग्य है।
- (iii) **अचल सम्पत्ति (भूमि या भवन और दोनों) :**
- I. यदि अचल सम्पत्ति प्राप्त होती है—
- (a) **बिना प्रतिफल :** इस तरह की सम्पत्ति की मुद्रांक मूल्य प्राप्तकर्ता की आय के रूप में कर योग्य होगा यदि यह ₹ 50,000 से अधिक होती है।
- (b) **अपर्याप्त प्रतिफल के लिये (Par inadequate consideration) :** यदि प्रतिफल सम्पत्ति के मुद्रांक शुल्क मूल्य से कम है तथा मुद्रांक शुल्क

मूल्य तथा प्रतिफल का अन्तर निम्न में से जो अधिक हो उससे ज्यादा है –

- (i) ₹ 50,000 तथा
- (ii) प्रतिफल का 5%

तो मुद्रांक शुल्क तथा प्रतिफल का अन्तर निर्धारिती की “अन्य साधनों से आय” के भीतर कर अधीन होगा।

- II. समझौते की तिथि एवं पंजीयन की तिथि के मध्य सम्भावित समयान्तर को ध्यान में रखते हुए, मुद्रांक मूल्यांकन मूल्य पंजीयन की तिथि के स्थान पर समझौते की तिथि को प्रचलित माना जा सकता है, यदि अचल सम्पत्ति के अन्तरण के प्रतिफल निर्धारण सम्बन्धी समझौते की तिथि और पंजीयन की तिथि एक नहीं है, बशर्ते कि समझौते की तिथि से पूर्व प्रतिफल का कोई भाग खाता देय चैक या खाता देय ड्राफ्ट के द्वारा या बैंक अकाउंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति से या ऐसे अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुकता कर दिया जाता है।
- III. यदि स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन से करदाता असहमत है तो वह कर निर्धारण अधिकारी ऐसी अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है। यदि ऐसा मूल्य स्टाम्प ड्यूटी मूल्य से कम है, तो इसको क्रेता के हाथ में इस शीर्षक में आय की गणना करने के लिए, ऐसी सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिये लिया जाएगा।

- (iv) **चल सम्पत्ति (सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के अलावा)** [Movable Property (Property, other than immovable property)] :

यदि चल सम्पत्ति प्राप्त होती है :

- (a) **बिना प्रतिफल** : प्राप्ति की तिथि पर ऐसी सम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य प्राप्तकर्ता की आय के रूप में करयोग्य होगा, यदि ₹ 50,000 से अधिक है।
- (b) **अपर्याप्त प्रतिफल** : के लिए उसका उचित बाजार मूल्य से ऐसे प्रतिफल का अन्तर ₹ 50,000 से अधिक है, तो ऐसा आधिक्य प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा।

- (v) **धारा 56(2)(x) की उपयुक्तता (Applicability of section 56(2)(x))** : धारा 56(2)(x) के प्रावधान केवल सम्पत्ति पर लागू होंगे जो प्राप्ति करता के लिए पूँजीगत सम्पत्ति के रूप में हो न की प्राप्तिकर्ता के व्यापार के माल भंडार (stock-in-trade) कच्चे माल या उपभोज्य माल के रूप में। अतः बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के पूँजीगत सम्पत्ति के समर्पण की स्थिति में धारा 56 (2) (x) के प्रावधान लागू होंगे।

- (vi) नीचे प्रदर्शित तालिका उपहार/भेंट की करदेयता को संक्षिप्तः प्रकट कर रही है (The table below summarizes the scheme of taxability of gifts) :

	सम्पत्ति की प्रकृति	कर योग्य मूल्य
1	धनराशि	सम्पूर्ण राशि यदि यह ₹ 50,000 से अधिक है।
2	चल सम्पत्ति	(i) बिना प्रतिफल सम्पत्ति की कुल उचित बाजार मूल्य यदि यह ₹ 50,000 से अधिक है। (ii) अपर्याप्त प्रतिफल कुल उचित बाजार मूल्य और प्रतिफल का आधिक्य यदि ऐसा आधिक्य ₹ 50,000 से अधिक है।
3	अचल सम्पत्ति	(i) बिना प्रतिफल सम्पत्ति का मुद्रांक मूल्य, यदि ₹ 50,000 से अधिक है। (ii) अपर्याप्त प्रतिफल (Inadequate consideration) : मुद्रांक शुल्क मूल्य तथा प्रतिफल का अन्तर यदि ₹ 50,000 या प्रतिफल के 5% में जो अधिक है उससे ज्यादा है।

- (vii) धारा 56(2)(X) के प्रावधानों से मुक्त [Non-applicability of Section 56(2)(x)] तथापि ऐसी धनराशि या सम्पत्ति जो निम्नांकित रूपों में या स्थितियों में प्राप्त हो, धारा 56(2)(X) के प्रावधानों से मुक्त होगी।

- रिश्तेदार से प्राप्ति; या
- व्यक्ति की शादी के अवसर पर प्राप्ति; या
- उत्तराधिकार/वसीयत के अन्तर्गत प्राप्ति; या
- देने वाले की आसन्न मृत्यु की अवस्था में प्राप्ति; या
- स्थानीय सत्ता से प्राप्ति⁷; या
- किसी कोष या संस्थान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या कोई न्यास या संस्थान से प्राप्ति⁸; या
- किसी पंजीकृत न्यास या संस्थान से प्राप्ति⁹; या
- किसी कोष या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय, या अन्य शैक्षणिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान से प्राप्ति¹⁰, या

⁷ धारा 10(20) के स्पष्टीकरण में परिभाषित

⁸ धारा 10(23C) में संदर्भित

⁹ धारा 12AA के तहत

¹⁰ धारा 10(23C) (iv)/(v)/(vi)/(via) में संदर्भित


- (i) धारा 47 (i)/(iv)/(v)/(vi)/(vi b)/(vi d) (viii) के अंतर्गत लेन-देन के रूप में करने पर वह समर्पण नहीं माना जाएगा।

पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनी तथा उसकी धारण कम्पनी के मध्य में धन या सम्पत्ति के लेन-देन को सरल बनाने के लिए, धारण कम्पनी तथा उसकी पूर्णतः स्वाधिकृत भारतीय सहायक कम्पनी या सहायक कम्पनी तथा उसकी 100% भारतीय धारण कम्पनी के मध्य में किए गए धन या सम्पत्ति का समर्पण धारा 56 (2) (x) में दिए गए प्रावधान के अनुसार करयोग्य नहीं होगा।

- (j) व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाई या स्थापित ट्रस्ट द्वारा किसी व्यक्ति से।
- (k) from such class of persons and subject to such conditions, as may be prescribed.

(viii) कुछ शब्दों का आशय (Meaning of certain terms) :

शब्द	अर्थ
सम्पत्ति	निर्धारित की पूंजीगत सम्पत्ति, अर्थात्— (a) अचल सम्पत्ति भूमि या भवन या दोनों (b) अंश और प्रतिभूतियां (c) आभूषण (d) पुरातात्विक संग्रह (e) चित्र (f) पेंटिंग (g) मूर्तियां (h) कला या (i) बुलियन का कोई भी काम
सम्बन्धित	(a) व्यक्ति की स्थिति में (In case of an individual) (i) व्यक्ति का जीवन साथी; (ii) व्यक्ति के भाई या बहन; (iii) व्यक्ति के जीवन साथी के भाई या बहन; (iv) व्यक्ति के माता-पिता के भाई या बहन; (v) व्यक्ति का कोई वंशागत पूर्व पुरुष या संतान (vi) व्यक्ति के जीवन साथी का कोई वंशागत पूर्व पुरुष या संतान (vii) उपर्युक्त दिए गये (i) से (vi) तक में दिए गये व्यक्ति का जीवनसाथी। (b) हिन्दू अविभक्त परिवार की स्थिति में (In case of Hindu Undivided Family), परिवार का कोई भी सदस्य।



उदाहरण (Illustration) 3

श्री A को निम्नांकित सम्पत्तियां/राशियां अपने मित्र श्री B से गतवर्ष 2019-20 में बिना प्रतिफल प्राप्त हुईं—

- (1) 15 अप्रैल, 2019 को उसके जन्मदिवस के उपलक्ष में प्राप्त नकद राशि ₹ 75,000।
- (2) 19 जून, 2019 को उसके जन्मदिवस पर ₹ 60,000 मूल्य की 'बुलियन'।
- (3) फरीदाबाद में एक भूखण्ड 1 जुलाई, 2019 को, जिसका मुद्रांक मूल्य उस तिथि को 5 लाख रुपये था। श्री विजय ने यह भूखण्ड अप्रैल, 2009 में क्रय किया था।

श्री A ने अपने मित्र C से X Ltd. के 1,000 अंश 19 जून, 2019 को ₹ 400 प्रति अंश की दर से क्रय किये जिनका उस दिन उचित बाजार मूल्य ₹ 600 प्रति अंश था। श्री अजय ने सभी अंश 23 जून, 2019 को व्यवसाय के दौरान विक्रय कर दिए।

Further, on 1st November, 2019, Mr. A took possession of property (building) booked by him to years back at ₹ 20 lakh. The Stamp duty value of the property as on 1st November, 2019 was ₹ 32 lakh and on the date of booking was ₹ 23 lakh. He had paid ₹ 1 lakh by account payee cheque as down payment on the date of booking.

1 मार्च, 2020 को फरीदाबाद स्थित भूखण्ड को उसने ₹ 7 लाख में बेच दिया।

श्री A की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'अन्य साधनों से आय' एवं पूँजीलाभ शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करें।

हल (Solution)

**कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री A की "अन्य स्रोत से आय" की गणना
(Computation of "Income from other sources" of
Mr. A for the A.Y. 2020-21)**

	विवरण	₹
(1)	रोकड़ उपहार धारा 56(2) (x) के तहत कर योग्य है, क्योंकि यह ₹ 50,000 से अधिक है।	75,000
(2)	क्योंकि 'बुलियन' सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल है इसलिए, जब 'बुलियन' बिना प्रतिफल के प्राप्त होता है, यह कर योग्य है, क्योंकि कुल उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है।	60,000
(3)	फरीदाबाद में बिना प्रतिफल के प्राप्त भूखण्ड की मुद्रांक मूल्य धारा 56(2) (x) के तहत कर योग्य है।	5,00,000
(4)	श्री C अंशों के विक्रेता से क्रय किये हुए X लि. के अंशों के मूल्य में ₹ 2 लाख का अन्तर, कर योग्य नहीं है क्योंकि श्री A के व्यापार गत माल को दर्शाता है। क्योंकि श्री A अंशों में विक्रेता है और यह उल्लेखित किया गया है कि अंशों को बाद में व्यापार में दौरान विक्रय किया गया या ऐसे अंश श्री A के व्यापारिक माल को दर्शाते हैं।	
(5)	बुकिंग की तिथि पर 23 लाख की मुद्रांक मूल्य और 20 लाख का वास्तविक प्रतिफल के मध्य अन्तर धारा 56(2) (x) के तहत कर योग्य है।	3,00,000
	अन्य स्रोतों से आय	9,35,000

पूँजी लाभ की गणना (A.Y. 2020-21 के लिए)

विवरण	₹
विक्रय प्रतिफल	7,00,000
घटाओ : प्राप्ति की लागत धारा 49(4) के अनुसार धारा 56(2) (x) के अन्तर्गत मुद्रांक मूल्यांकन समझी जायेगी और कर योग्य है।	5,00,000
अल्पकालीन पूँजीलाभ	2,00,000

नोट—श्री A द्वारा बिक्रीत भूखण्ड उनके स्वामित्व में केवल 8 माह रहा है। पूर्व स्वामी की धारण अवधि यहां निरर्थक है क्योंकि वह करदाता नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 4

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के अधीन निम्नांकित स्थितियों में, प्राप्तकर्ता के लिए, करदेयता अथवा अन्यथा का निर्धारण कीजिए—

- अखिल HUF, ने ₹ 75,000 नकद अखिल की भतीजी से प्राप्त किये। (अखिल HUF का कर्ता है)
- नितिशा अपने पिता के HUF की सदस्य, ने एक मकान सम्पत्ति HUF को बिना प्रतिफल अन्तरित की है, जिसका मुद्रांक मूल्यांकन ₹9 लाख है।
- श्री अक्षत को A Ltd. के 100 अंश, उसके मित्र ने, अक्षत की 25वीं शादी की वर्षगांठ पर उपहार में दिये, उस दिन अक्षत को अपने भतीजे से ₹ 45,000 FMV के आभूषण भी प्राप्त हुए।
- किशन HUF ने एक कार, कर्ता के पुत्र को XII परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उपहार में दी, जिसका उस दिन FMV ₹5,25,000 है।

हल (Solution)

	कर योग्य / गैर-कर योग्य	कर योग्य राशि	प्रभाव
(i)	कर योग्य	75,000	बिना प्रतिफल ₹ 50,000 से अधिक राशि जो गैर-रिश्तेदार से प्राप्त हो, धारा 56(2) (x) के तहत कर योग्य है, श्री अखिल की बेटी अखिल HUF की रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि वह अखिल HUF की सदस्य नहीं है।
(ii)	गैर-कर योग्य	शून्य	HUF द्वारा रिश्तेदार से बिना प्रतिफल प्राप्त अचल सम्पत्ति धारा 56(2) (x) में करयोग्य नहीं है। क्योंकि नितिशा HUF की सदस्य है, वह HUF की रिश्तेदार है। हालांकि, इस प्रकार की सम्पत्ति से आय धारा 64(2) के तहत नितिशा के हाथों में शामिल की जायेगी।

(iii)	कर योग्य	55,000	धारा 56(2)(x) के प्रावधानों के अनुसार, अचल सम्पत्ति के अलावा, बिना प्रतिफल के प्राप्त सम्पत्ति की कुल उचित बाजार मूल्य 50,000 से अधिक के मामले में, संपूर्ण कुल मूल्य कर योग्य होगा। इस मामले में, अंशों की कुल उचित बाजार मूल्य (₹ 10,000) और आभूषण (₹ 45,000) ₹ 50,000 से अधिक है। इसलिए ₹ 55,000 की पूर्ण राशि कर योग्य होगी।
(iv)	गैर-कर योग्य	शून्य	धारा 56(2) (x) के प्रयोजन के लिए कार सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए यह कर योग्य नहीं होती।

उदाहरण (Illustration) 5

हरी एक प्रापर्टी डीलर, ने व्यवसाय के दौरान एक भवन अपने मित्र राजेश को ₹ 90 लाख में दि. 1.1.2020 को बेचा, उस समय उसका मुद्रांक मूल्य ₹ 150 लाख था। परन्तु समझौता दिनांक 1.9.2019 को हुआ था जब उसका मुद्रांक मूल्य ₹ 140 लाख था। समझौते की तिथि को हरी को ₹ 15 लाख का चेक अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ हरी एवं राजेश के लिए कर प्रभावों की विवेचना यह मानते हुए कीजिए कि हरी ने इस भवन को 12.7.2018 ₹ 75 लाख में क्रय किया था।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि प्रापर्टी डीलर के स्थान पर शेय ब्रोकर होता।

हल (Solution)

स्थिति 1. यदि श्री हरी सम्पत्ति व्यापारी है तो कर अनुमान (Tax implications if Mr. Hari is a property dealer)

श्री हरी के हाथ में	श्री राजेश के हाथ में
हरी के हाथ में, धारा 43CA के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि भवन बिक्री माल के रूप में दर्शाया गया है तथा उसका समर्पण मुद्रांक शुल्क मूल्य से कम प्रतिफल पर किया गया है तथा मुद्रांक शुल्क मूल्य प्रतिफल से 105% ज्यादा है।	खरीदा हुआ भवन पूँजीगत सम्पत्ति के रूप में दिखाया जाएगा क्योंकि श्री राजेश मोटर-गाड़ी के अतिरिक्त पुर्जे का व्यापारी है। धारा 56 (2) (x) के प्रावधान श्री राजेश पर लागू होंगे जिसने पूँजीगत सम्पत्ति के रूप में अचल सम्पत्ति अपर्याप्त प्रतिफल में प्राप्ति की है तथा प्रतिफल तथा मुद्रांक शुल्क मूल्य ₹ 4,50,000 से अधिक है जो ₹ 5,000 तथा प्रतिफल के 5% से अधिक है।
धारा 43CA के अंतर्गत समझौते की तिथि पर मुद्रांक शुल्क मूल्य को लेने का अवसर तभी उपयोग किया जा सकता है जब प्रतिफल का पूरा या कुछ भाग समझौते की तिथि या उससे पहले प्राप्त किया गया हो अदाता खाता चेक या बैंक द्वारा ECS या ड्राफ्ट द्वारा समझौते तिथि पर या उससे पहले। इस स्थिति में,	अतः ₹ 60 लाख जो मुद्रांक शुल्क मूल्य अर्थात् ₹ 150 लाख जो सम्पत्ति की पंजीकरण तिथि पर है तथा प्रतिफल अर्थात् ₹ 90 लाख का अंतर है वह धारा 56 (2) (x) के अंतर्गत श्री राजेश के लिए करयोग्य होगा क्योंकि भुगतान समझौते की तिथि पर प्रति जाँच चेक (crossed cheque) द्वारा किया गया है न कि

<p>क्योंकि भुगतान रेखांकित चेक द्वारा किया गया है यह विकल्प उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः ₹ 75 लाख जो मुद्रांक शुल्क मूल्य अर्थात् ₹ 150 लाख जो समर्पण तिथि पर है तथा क्रय मूल्य अर्थात् ₹ 75 लाख का अंतर है। वे व्यवसाय आय के रूप में आदेय होगा श्री हरी के लिए, क्योंकि मुद्रांक शुल्क मूल्य प्रतिफल से 105% ज्यादा है।</p>	<p>अदाता खाता चेक/ड्राफ्ट या ECS द्वारा।</p>
--	--

स्थिति 2. यदि श्री हरी शेयर दलाल है तो कर अनुमान (Tax implications if Mr. Hari is a stock broker)

श्री हरी के हाथ में	श्री राजेश के हाथ में
<p>यदि हरी शेयर दलाल है तथा सम्पत्ति व्यापारी नहीं तो भवन पूँजीगत सम्पत्ति के रूप में दिखाया जाएगा तथा बिक्री माल के रूप में नहीं। इस स्थिति में, धारा 50 C के प्रावधान श्री हरी पर लगेंगे क्योंकि भवन का समर्पण मुद्रांक शुल्क मूल्य से कम प्रतिफल पर हुआ है तथा मुद्रांक शुल्क मूल्य प्रतिफल का 105% है। अतः ₹ 75 लाख जो मुद्रांक शुल्क मूल्य अर्थात् ₹ 150 लाख पंजीकरण तिथि पर तथा क्रयमूल्य अर्थात् ₹ 75 लाख का अंतर है वह अल्पाविधि पूँजीगत लाभ (Short term capital gains) के रूप में आदेय होगा। यह ध्यान रखा जाए कि धारा 50 C के भीतर समझौते की तिथि का मुद्रांक शुल्क मूल्य अपनाने का विकल्प तभी लिया जा सकता है जब प्रतिफल का पूरा या कुछ भाग समझौते की तिथि पर या पहले प्राप्त हो गया हो अदाता खाता चेक या ड्राफ्ट या ECS द्वारा बैंक खाते से समझौते तिथि से पहले। इस स्थिति में, समझौते की तिथि पर भुगतान प्रति जाँच चेक द्वारा किया गया इस कारण विकल्प उपयोग नहीं हो सकती।</p>	<p>श्री राजेश की करयोग्यता में कोई अंतर नहीं होगा श्री हरी के सम्पत्ति व्यापारी या शेयर दलाल होने से। अतः धारा 56 (2) (x) के प्रावधान श्री राजेश पर लगेंगे जिसने पूँजीगत सम्पत्ति के रूप में अचल सम्पत्ति अपर्याप्त प्रतिफल में प्राप्त की है तथा प्रतिफल तथा मुद्रांक शुल्क मूल्य ₹ 4,50,000 से अधिक है जो ₹ 50,000 तथा प्रतिफल के 5% से अधिक है। अतः ₹ 60 लाख जो मुद्रांक शुल्क मूल्य अर्थात् ₹ 150 लाख जो सम्पत्ति की पंजीकरण तिथि पर है तथा प्रतिफल अर्थात् ₹ 90 लाख का अंतर है वह धारा 56 (2) (x) के अंतर्गत श्री राजेश के लिए करयोग्य होगा क्योंकि भुगतान समझौते की तिथि पर प्रति जाँच चेक द्वारा किया गया है न कि अदाता खाता चेक/ड्राफ्ट या ECS द्वारा।</p>

- (7) रोजगार अंत करने से सम्बंधित मुआवजा या अन्य भुगतान प्राप्त होना [धारा 56 (2) (xi)] [Compensation or any other payment received in connection with termination of his employment (section 56 (2) (xi)]

कोई क्षतिपूर्ति या अन्य भुगतान जो प्राप्त होने वाला हो या प्राप्त हो गया हो किसी व्यक्ति द्वारा, किसी भी नाम से कहा जाए, रोजगार अंत होने या उससे सम्बंधित नियम तथा शर्तों में परिवर्तन के संबंध में वह इस शीर्षक के भीतर कर आदेय होगा।

- (ii) केवल अन्य स्रोतों से आय "शीर्षक के तहत कर योग्य आय, यदि व्यवसाय या पेशे से मुनाफा और लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं है"—
- (1) किसी भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति कोष या कर्मचारियों के कल्याण हेतु किसी अन्य कोष के अंशदानों के रूप में अपने नियोक्ता से करदाता को प्राप्त कोई राशि;
 - (2) मशीनों, संयंत्र अथवा फर्नीचर को किराए पर देने से होने वाली आय;
 - (3) जहाँ भवनों को किराए पर देने के साथ मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर को किराए पर देना अपृथकनीय/आवश्यक हो, तो ऐसे किराए से आय;
 - (4) प्रतिभूतियों पर ब्याज।

हालांकि, कुछ व्यक्तियों को उत्पन्न होने वाली निम्न ब्याज आय की धारा 10(15) के तहत छूट होगी :

- (i) अधिसूचित प्रतिभूतियों, बॉण्ड, वार्षिक प्रमाण-पत्र या अन्य बचत पत्र प्रमाण पत्रों पर ब्याज मापन पर प्रीमियम या अन्य भुगतान के द्वारा आय को ऐसी शर्तों और सीमा के अधीन छूट है जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज, जिस पर अब तक पूरी तरह से छूट दी गई थी, उसे अब तक किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से केवल इस सीमा तक छूट प्राप्त होगी—
 - (1) व्यक्तिगत खाते के मामले में ₹ 3,500.
 - (2) संयुक्त खाते के मामले में ₹ 7,000.
- (ii) सीलोन मौद्रिक कानून अधिनियम, 1949 के तहत गठित सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के निर्गमन विभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज।
- (iii) किसी भी बैंक को देय ब्याज जो भारत से बाहर निर्गमित हुई है और उसने आरबीआई की अनुमति के साथ उस देश में उसके द्वारा किए गये किसी भी जमा पर केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों को अधिकृत किया गया।
- (iv) 25.11.86 को उस बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा दर्ज समझौता ज्ञापन के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक परियोजना के लिए नॉर्डिक निवेश बैंक को देय ब्याज।
- (v) 25.11.1993 को बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग के लिए रूपरेखा समझौते के अनुपालन के लिए गए ऋण पर यूरोपीय निवेश बैंक को देय ब्याज।

(vi) देय ब्याज—

- (a) अनुसूचित बैंक द्वारा एक गैर निवासी या जो आम तौर पर भारत का निवासी नहीं है, को विदेशी मुद्रा में जमा पर जहाँ बैंक द्वारा ऐसी जमाओं की स्वीकृति RBI द्वारा अनुमोदित की जाती है।
- (b) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कुछ निर्दिष्ट बॉण्ड और ऋणपत्र पर ऐसी शर्तों के अधीन जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, ऐसी शर्तों के सहित कि ऐसे बॉण्ड और ऋणपत्र धारक उस कम्पनी के पास अपना नाम और होर्डिंग को पंजीकृत कराते हैं।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय अवसंरचना कम्पनी लिमिटेड (आईआरएफएल) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसीएल), हाउसिंग और शहरी विकास निगम लि. (एचयूडीसीएल), विद्युत् वित्तीय निगम (पीएफसी), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यास, भारतीय ड्रेजिंग निगम लिमिटेड, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड और भारतीय अक्षम ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के कर मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, बॉण्ड को निर्दिष्ट किया है, जिस पर ब्याज को इस धारा के तहत छूट होगी।

- (c) इस योजना के अनुसार केन्द्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्रीय कम्पनी के किसी कर्मचारी द्वारा किये गये जमा पर भारत सरकार द्वारा अधिवर्षिता पर या उसकी सेवा निवृत्ति के समय उसके खाते पर देय राशि के कारण भी सूचित किया जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि ये योजना गैर सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

“औद्योगिक उपक्रम” शब्द का अर्थ किसी भी उपक्रम से है जिसमें शामिल है:

- (i) वस्तुओं का निर्माण या प्रसंस्करण; या
- (ii) किसी भी डिस्क, टेप छिद्रित, मीडिया या अन्य सूचना उपकरण पर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर या कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का निर्माण; या
- (iii) विद्युत् या किसी अन्य प्रकार की विद्युत् के उत्पादन या उत्पादन और वितरण का व्यवसाय; या
- (iv) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय
- (v) खनन; या
- (vi) जहाजों का निर्माण; या
- (vii) जहाज तोड़ने का व्यवसाय; या
- (viii) जहाज या हवाई जहाजों का संचालन या रेल व्यवस्था का निर्माण या संचालन

इस खंड के प्रयोजन के लिए, “ब्याज” में ऋण के विलंबित भुगतान या चूक पर चुकता ब्याज शामिल नहीं होगी यदि ऐसे ऋण के मामले में देय ब्याज दर 2% प्रति वर्ष से अधिक है। मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण ब्याज में प्रतिरक्षा लेनदेन शुल्क शामिल होंगे।

- (vii) **भोपाल गैस पीड़ित** : धारा 10(15) (v) रिजर्व बैंक के खाता नंबर एसएल/डीएच 048 में कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ितों, भोपाल द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में छूट प्रदान करता है। हाल ही में, गैस रिसाव के पीड़ितों की सेवा के लिए भोपाल में अस्पताल के निर्माण के वित्त पोषण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, यूनियन कार्बाइड इंडियन लि. के अंशों को बेचा गया है।
- (viii) स्वर्ण जमा योजना, 1999 के तहत स्वर्ण जमा बॉण्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के तहत निर्गमित किए गए जमा प्रमाणपत्र पर ब्याज
- (ix) बॉण्ड पर ब्याज, द्वारा निर्गमित :
- (a) स्थानीय प्राधिकारी; या
- (b) राज्य मूल वित्तीय संस्थान और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट।
- “राज्य एकत्रित वित्तीय संस्थान” का आशय ऐसे संस्थान से है जिसे शहरी विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचित एकत्रित विकास योजना के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के एकत्रित वित्तीय विकास कोष योजना के तहत “कर मुक्त एकत्रित वित्तीय विकास बॉण्ड निर्दिष्ट किए गये हैं, जिनको 10(15) के तहत छूट दी जायेगी।
- (x) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(v) में निर्दिष्ट अपतटीय बैंकिंग ईकाई में 1.4.2005 को या उसके बाद किए गए जमा से भारत में अनिवासी/सामान्य रूप से निवासी द्वारा प्राप्त आय पर ब्याज यानि, एसईजेड में स्थित बैंक की शाखा और जिसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1) (a) के तहत अनुमति प्राप्त की है।
- (xi) **1.9.2019 को या उसके बाद उधार लिए गए धन के सम्बन्ध में IFSC में स्थापित एक इकाई से गैर-निवासी द्वारा प्राप्य ब्याज की आय।**

(iii) कीमैन बीमा पॉलिसी

कीमैन बीमा पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि सहित, ऐसी बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत ‘प्राप्त कोई राशि’, यदि ऐसी आय ‘व्ययसाय अथवा पेशे के लाभों, शीर्षक, के अन्तर्गत या ‘वेतन’ शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है।

यानि यदि ऐसी राशि नियोक्ता जिसने पॉलिसी ली थी और कर्मचारी जिसके नाम पर पॉलिसी ली गई थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है।

(iv) अवशिष्ट आय :

अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य कोई आय, जो आय के किसी अन्य शीर्षक में न आती हो। उदाहरण के लिए, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्राप्त वेतन, वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं होता अपितु धारा 56 के अन्तर्गत ‘अन्य स्रोतों से आय’ शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होता है।

बैंकों के गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों से ब्याज : चाहे "व्यवसाय और पेशे के मुनाफे या लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के अधीन आदेय हो ? [परिपत्र सं/18, दिनांक 2.11.2015]

इस परिपत्र द्वारा संबंधित मुद्दा यह है कि क्या बैंकों के मामले में, गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रासंगिक खर्च गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों पर ब्याज को "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में समझने के बाद, धारा 57(i) के तहत अस्वीकार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 56(1) (id) बताता है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज के द्वारा आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर योग्य होगी, यदि आय "व्यवसाय और शीर्षक पेशे से मुनाफा या लाभ" शीर्षक के तहत आयकर योग्य नहीं है।

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग संस्था के द्वारा किए गए निवेश बैंकिंग के व्यवसाय का हिस्सा है। इसलिए, ऐसे निवेशों से आय "व्यापार और पेशे के मुनाफे और लाभ" के अनुसार बैंकिंग के व्यवसाय के परिणामस्वरूप है।

5.3 प्रतिभूतियों का दिखावटी लेनदेन तथा डिविडेन्ड स्ट्रिपिंग [धारा 94] [Bond Washing Transaction and Dividend Stripping (Section 94)]

- (i) प्रतिभूतियों का दिखावटी लेनदेन (Bond Washing Transactions) से आशय ऐसे लेनदेन से है जहाँ प्रतिभूतियाँ ब्याज की नियत तिथि के कुछ समय पूर्व बेची जाती हैं तथा नियत तिथि से कुछ समय बाद पुनः खरीद ली जाती हैं। यह नीति उच्च आय स्तर वाले करदाता द्वारा अपनाई जाती है ताकि वह कर बचाने के लिए प्रतिभूतियाँ अपने से कम स्तर आय वाले मित्र/सम्बन्धी को ब्याज की नियत तिथि से पूर्व हस्तान्तरित कर सके। ऐसे मामले में ब्याज हस्तान्तरी के हाथ में करयोग्य होगा जो कि प्रतिभूति का वैधानिक स्वामी है। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए धारा 94(1) में यह प्रावधान है कि जहाँ करदाता ब्याज की नियत तिथि के कुछ समय पूर्व प्रतिभूति को हस्तान्तरित कर देता है तथा हस्तान्तरी द्वारा ब्याज प्राप्त करने के बाद उसे पुनः खरीद लेता है, वहाँ ऐसी ब्याज की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय मानते हुए उसी के लिए करयोग्य होगी।
- (ii) ब्याज सहित प्रतिभूति की बिक्री रीति को रोकने के उद्देश्य से धारा 94(2) में इस बात का प्रावधान है कि प्रतिभूति के सारवान हित रखने वाले करदाता ने यदि इसे इस रीति से बेचा है कि या तो उसे कोई ब्याज प्राप्त नहीं होती या फिर उससे कम प्राप्त होती अगर पूरी अवधि में उस प्रतिभूति पर ब्याज उपार्जित होता, ऐसी स्थिति में उस प्रतिभूति का पूरी अवधि का ब्याज करदाता की उपार्जित आय माना जाएगा।
- (iii) धारा 94(7) इस बात का प्रावधान करती है कि—
 - (a) यदि कोई व्यक्ति लेखा तिथि (Record Date) से पूर्व के 3 माह में कोई प्रतिभूति खरीदता या अधिगृहीत करता है।
 - (b) ऐसा व्यक्ति बेचता या हस्तान्तरण करता है—
 - (1) लेखा तिथि से बाद के 3 माह में प्रतिभूति को; या
 - (2) उक्त तिथि से बाद के 9 माह में ऐसे यूनिट्स को।
 - (c) उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त/प्राप्य ऐसी प्रतिभूति पर लाभांश की आय करमुक्त हो।

ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की करयोग्य आय की गणना करते समय उससे होने वाली हानि की अनदेखी कर देंगे अर्थात् ऐसी हानि प्राप्त/प्राप्य लाभांश की आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.4 आकस्मिक आय के सम्बन्ध में लागू कर की दरें [धारा 115BB] [Applicable Rate of Tax in respect of Casual Income (Section 115BB)]

- (i) यह धारा व्यवस्था करती है कि लॉटरी से जीत, क्रॉसवर्ड पहेली, दौड़ (घुड़दौड़ सहित) या कार्ड गेम तथा अन्य खेल (किसी भी प्रकार के जुए या बोली लगाने से सम्बन्धित) आदि पर कर की स्थायी दर 30 प्रतिशत एवं अधिभार, यदि लागू हो, एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर @4% सहित लागू होगी।
- (ii) ऐसी आय में किसी भी प्रकार के खर्चे स्वीकृत नहीं होंगे।
- (iii) ऐसी आय से अध्याय VI-A की कटौतियाँ स्वीकृत नहीं होंगी।
- (iv) आयकर मूल/करमुक्ति सीमा का समायोजन भी सम्भव नहीं है।

5.5 स्वीकार्य कटौतियाँ [धारा 57] [Deductions Allowable (Section 57)]

'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निम्नांकित कटौतियों के पश्चात् ज्ञात की जाएगी—

- (i) प्रतिभूतियों पर लाभांशों (धारा 115-O में बताई गई ब्याजों से अलग) अथवा ब्याज की दशा में, करदाता के लिए ऐसे लाभांश अथवा ब्याज को वसूल करने के उद्देश्य हेतु किसी बैंकर अथवा कोई अन्य व्यक्ति को कमीशन अथवा पारिश्रमिक के माध्यम से चुकाई गई कोई राशि।
- (ii) धारा 2(24)(x) के अनुसार आय में सम्मिलित भविष्य निधि में योगदान के रूप में कर्मचारी से वापसी [Income consists of recovery from employees as contribution to any provident fund etc. in terms of section 2(24) (x)] : धारा 36 (1) (va) के प्रावधान के अनुसार कटौती प्रदान की गई है जो सम्बन्धित कानून में दी गई देय तिथि से पहले वापस आए योगदान की मिलेगी।
- (iii) जहाँ आय इस शीर्षक के भीतर आदेय की गई है वह उपकरण, कारखाना तथा फर्नीचर को भवन या उसके बिना किराए पर देने से हुई है [Where the income to be charged under this head is from letting on hire of machinery, plant and furniture with or without building] : कथित आय की गणना करते समय निम्नलिखित विषयों की कटौतियाँ प्रदान की गई हैं :
 - (a) उपकरण, कारखाना, फर्नीचर या भवन की मरम्मत के लिए दी गई राशि
 - (b) उपकरण या कारखाना, फर्नीचर या भवन को नुकसान या ध्वंस होने की आशंका से सुरक्षित होने के लिए अधिमूल्य राशि को देना
 - (c) उपकरण, कारखाना या फर्नीचर पर उचित स्वीकृत घटाव।
- (iv) पारिवारिक पेंशन की प्रकृति की किसी आय की दशा में, ऐसी आय की $33\frac{1}{3}\%$ के बराबर राशि या ₹ 15,000 (जो भी कम है) की मानक कटौती स्वीकार की जाएगी।

इस कटौती के उद्देश्यार्थ 'पारिवारिक पेंशन' का अर्थ है कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, परिवार से सम्बद्ध किसी व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा देय नियमित मासिक राशि।

पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित छूट (Exemption in respect of family pension)

1. सशस्त्र सेना (अर्द्ध-सैनिक बल सम्मिलित) के सदस्य की विधवा, संतान या नामजद उत्तराधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने पर, जहाँ कथित सदस्य की मृत्यु परिक्रिया से सम्बन्धित फर्ज पूरा करने के दौरान हुई हो, वह निर्धारित स्थितियों में धारा 10(19) के अन्तर्गत कर मुक्त होंगी।
2. जो व्यक्ति केंद्रीय तथा राज्य सरकार में सेवा में हो तथा जिसे "परमवीर चक्र" या 'वीर चक्र' या अन्य अधिसूचित वीरता पुरस्कार दिए गए हों तो उसके परिवार के सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने पर वह धारा 10(18)(ii) में कर मुक्त होगी।

- (v) कथित आय को उत्पन्न या कमाने के लिए पूर्णतः तथा अनन्य रूप से किए गए अन्य खर्च जो पूँजीगत खर्च के स्वभाव के नहीं हैं।
- (vi) मुआवजे/बढ़े हुए मुआवजे के रूप में प्राप्त आय धारा 56(2)(viii) में कर आदेय होगी [In case of income by way of compensation/enhanced compensation received chargeable to tax under section 56(2)(viii)] : कथित आय की 50% की कटौती। धारा 57 के अन्य उपनियम में कथित आय की कोई कटौती नहीं मिलेगी।

उदाहरण (Illustration) 6

श्री जी को गतवर्ष 2019-20 में बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 5,00,000 प्राप्त हुए। इस ब्याज में ₹ 1,50,000 गतवर्ष 2016-17 की, ₹ 1,65,000 गतवर्ष 2017-18 की एवं ₹ 1,85,000 गतवर्ष 2018-19 की ब्याज है। करनिर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उपर्युक्त ब्याज की आय पर करारोपण की विवेचना कीजिए।

हल (Solution)

ब्याज की सम्पूर्ण राशि ₹ 5,00,000 प्राप्ति के गतवर्ष (2019-20) की करयोग्य आय मानी जायेगी।

विवरण	₹
धारा 56(2) (viii) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पर अर्जित ब्याज की राशि प्राप्ति के आधार पर	5,00,000
घटाओ: धारा 57(iv) के अन्तर्गत 50% मानक कटौती	(-) 2,50,000
अन्य साधनों से आय शीर्षक करयोग्य ब्याज	2,50,000

5.6 स्वीकार न की जाने वाली कटौतियां [धारा 58] [Deductions not allowable (Section 58)]

अग्रांकित मदों के सम्बन्ध में एक करदाता की 'अन्य स्रोतों से आय' की गणना करने में कटौती नहीं दी जाएगी :

- (i) सभी करदाताओं के लिए :

- (1) करदाता का कोई व्यक्तिगत व्यय;
 - (2) अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य कोई ब्याज जो भारत के बाहर देय हो, जिस पर कर नहीं चुकाया गया है या उद्गम पर नहीं काटा गया है;
 - (3) 'वेतन' के रूप में भारत में करयोग्य कोई भुगतान यदि उसका भुगतान भारत के बाहर दिया जाता है, जब तक कि उस पर नहीं चुकाया गया है या उद्गम पर कटौती नहीं की गई है।
- (ii) **कोई व्यय जिसके सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धी व्यक्ति को किया जाता है :**
 इन अस्वीकृतियों के अतिरिक्त धारा 58 की उपधारा (2) विशिष्टतः व्यवस्था करती है कि रिश्तेदारों तथा 'सम्बद्ध संस्थानों' को भुगतान की अस्वीकृति के सम्बन्ध में, धारा 40A के अन्तर्गत प्रावधान (₹ 10,000 से अधिक के भुगतान या भुगतानों का जोड़ जो किसी व्यक्ति को एक दिन में जो खाते में देय चेक या ड्राफ्ट बैंक अकाउण्ट के द्वारा ईसीएस ऐसे अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त दिया जाता है), 'अन्य स्रोतों से आय' पर भी यथावत् लागू रहेंगे।
- (iii) **30% व्ययों की अस्वीकृति :** व्यय का 30% को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा राशि के सम्बन्ध में जो निवासी को देय है और जिस पर कर स्रोत पर कटना है,
- यदि इस तरह के कर को काटा नहीं गया है या;
 - काटने के बाद इस तरह के कर को धारा 139(1) में निर्दिष्ट देय तिथि पर या पहले भुगतान नहीं किया गया है।
- (iv) लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहेलियों, घुड़दौड़ों सहित दौड़ों, ताश के खेलों तथा अन्य किसी प्रकार की क्रीड़ाओं या क्रिया अथवा किसी भी स्वरूप या प्रकृति की शर्तबाजी से आय के सम्बन्ध में किसी व्यय या भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती उक्त आय की गणना करते समय नहीं दी जाएगी।
 लेकिन ऐसी अस्वीकृति ऐसे करदाता के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जहाँ करदाता 'घुड़दौड़ों के घौड़ों का स्वामी हो, तथा उन घोड़ों के स्वामित्व तथा अनुरक्षण की गतिविधि के सम्बन्ध में, किए गए व्यय किसी दावे राशि के न होने पर भी स्वीकार्य होंगे। ऐसी हानि को धारा 74A के प्रावधानों के अनुसार आगे भी ले जाया जाएगा।

5.7 करयोग्य मानी गई आय [धारा 59] [Deemed Income Chargeable to Tax (Section 59)]

जहाँ तक इस शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना सम्भव है धारा 41(1) के प्रावधानों को लागू किया जाता है। तदनुसार किसी हानि, व्यय या दायित्व के सम्बन्ध में कोई कटौती की जा चुकी है, तो ऐसी हानि या व्यय का वापस लौटना या दायित्व में कमी या प्रतिपूर्ति (Recoupment) जो आने वाले वर्ष में हो, उसको, उस बाद वाले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसी घटना घटी हो।

5.8 लेखांकन की विधियाँ [धारा 145] [Methods of Accounting (Section 145)]

Income chargeable under the head "Income from other sources" has to be computed in accordance with the cash or mercantile system of accounting regularly employed by the assessee.

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) 1

परीक्षण करें कि निम्न आय किस शीर्षक के तहत कर योग्य है :

- (i) 3 वर्ष के लिए विक्रय माल के रूप में धारित की गई सम्पत्ति के मामले में किराये की आय
- (ii) अंशों में विक्रेता के मामले में अंशों पर लाभांश
- (iii) अपने साझेदार फर्म से भागीदार द्वारा प्राप्त वेतन
- (iv) मशीनरी की किराये की आय
- (v) समान व्यवसाय गतिविधि होने वाले व्यक्ति द्वारा लॉटरी से जीत
- (vi) संसद सदस्य को देय वेतन
- (vii) बिना किसी प्रतिफल के प्राप्तियाँ
- (viii) सेवानिवृत्ति के मामले में, कर्मचारी योगदान पर ब्याज, यदि भविष्य निधि पहचानने अयोग्य है तो
- (ix) सम्पत्तियों को किराये पर देने के व्यवसाय में लगे व्यक्ति के मामले में किराये की आय

उत्तर (Answer)

	विवरण	आय के शीर्षक
(i)	3 वर्ष के लिए विक्रय माल के रूप में धारित की गई सम्पत्ति के मामले में किराये की आय	घर की सम्पत्ति से आय
(ii)	अंशों के विक्रेता के मामले में अंशों पर लाभांश	अन्य स्रोतों से आय
(iii)	अपनी साझेदार फर्म से भागीदार द्वारा प्राप्त वेतन	व्यवसाय या पेशे का मुनाफा या लाभ
(iv)	मशीनरी की किराये की आय (नीचे नोट देखें)	अन्य स्रोतों से आय / व्यवसाय या पेशे का मुनाफा और लाभ
(v)	समान व्यवसाय गतिविधि होने वाले व्यक्ति द्वारा लॉटरी से जीत	अन्य स्रोतों से आय
(vi)	संसद सदस्य को देय वेतन	अन्य स्रोतों से आय
(vii)	बिना प्रतिफल के प्राप्ति	अन्य स्रोतों से आय
(viii)	सेवानिवृत्ति के मामले में, कर्मचारी के योगदान पर ब्याज, यदि भविष्य निधि पहचानने अयोग्य है तो	अन्य स्रोतों से आय
(ix)	सम्पत्तियों को किराए पर देने के व्यवसाय में लगे व्यक्ति के मामले में किराये की आय	व्यवसाय या पेशे का मुनाफा और लाभ

नोट : धारा 56(2)(ii) के अनुसार, मशीनरी की किराए की आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत कर के लिए आदेय होगी, यदि यह "व्यवसाय या पेशे का मुनाफा और लाभ" शीर्षक के तहत आय-कर के लिए आदेय नहीं है।

प्रश्न (Question) 2

कारण सहित बताइए कि क्या निम्नांकित आय करयोग्य है, यदि हाँ तो देयकर की राशि क्या होगी ?

- (i) राज को उसके पुत्र प्रवीन के विवाह के अवसर पर गैर-रिश्तेदार से ₹ 1,20,000 का नकद उपहार प्राप्त हुआ।
- (ii) 12.03.2020 को शहरी जमीन को प्राप्त करने के लिए बढ़े हुए क्षतिपूर्ति पर ₹ 96,000 की ब्याज प्राप्त हुई जिसमें से 40% पूर्व वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित है।

उत्तर (Answer)

क्र. सं.	करयोग्य गैर-करयोग्य	करयोग्य राशि ₹	कारण
(i)	करयोग्य	1,20,000	धारा 56(2)(x) की प्रभावशीलता से विमुक्ति तभी प्राप्त होती है, यदि अन्य बातों के साथ, जब उपहार रिश्तेदार से प्राप्त हो अथवा व्यक्ति को स्वयं की शादी के अवसर पर प्राप्त हो। इस मामले में, राज को उपहार गैर-रिश्तेदार से अपने पुत्र की शादी के अवसर पर प्राप्त होता है, यह धारा 56(2)(x) के अधीन राज के लिये करयोग्य आय है।
(ii)	करयोग्य	48,000	धारा 145B(1) के अनुसार बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि पर करदाता को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, उस वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष में यह प्राप्त हुई है, करदाता द्वारा लेखांकन प्रणाली अपनाने से यह सम्बन्धित नहीं है। ₹ 96,000 की ब्याज जो कि गतवर्ष 2019-20 में प्राप्त हुई है, करयोग्य है, परन्तु धारा 57(iv) के अधीन 50% की कटौती प्राप्त होगी। अतः ₹ 48,000 की आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य है।

प्रश्न (Question) 3

श्री गोविन्द (एक बैंक कर्मचारी) को दि. 10-10-2019 को ₹ 5 लाख, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 में उसकी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि पर, ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

ब्याज की इस राशि में ₹ 1,50,000 वित्त वर्ष 2014-15 ₹ 1,65,000 वित्तवर्ष 2015-16 और ₹ 1,85,000 वित्त वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित हैं। उसने बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज की प्राप्ति के लिये ₹ 50,000 कानूनी व्यय किये।

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिये बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि पर कितनी ब्याज की राशि करयोग्य होगी ?

उत्तर (Answer)

धारा 145B के अनुसार करदाता को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि पर प्राप्त ब्याज, करदाता की उस वर्ष की आय मानी जाती है जिस वर्ष में ऐसी आय करदाता को प्राप्त होती है। भले ही करदाता द्वारा कोई भी लेखांकन पद्धति अपनाई गयी हो अथवा प्राप्त ब्याज राशि किसी भी वर्ष से सम्बन्धित हो।

धारा 56(2)(viii) के अनुसार ऐसी ब्याज 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अधीन करयोग्य होती है और धारा 57(iv) के अधीन ऐसी प्राप्ति पर 50% की कटौती प्राप्त होती है, और अन्य कोई कटौती ऐसी आय से स्वीकृत नहीं है।

अतः ऐसी ब्याज की आय को प्राप्त करने के सम्बन्ध में कानूनी व्ययों की कोई कटौती स्वीकृत नहीं है।

**बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अधीन गणना
(कर-निर्धारण वर्ष 2020-21)**

विवरण	₹
धारा 56(2)(viii) के अधीन करयोग्य ब्याज	5,00,000
घटाओ : धारा 57(iv) के अधीन 50% कटौती × ₹ 5,00,000	2,50,000
बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर करयोग्य ब्याज	2,50,000

प्रश्न (Question) 4

श्रीमती हिमाली ने 31-3-2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किये हैं :

- नकद उपहार ₹ 51,000 उसकी 'शष्टिपूर्ति' उपलक्ष्य पर उसके मित्र ने दिया। यह एक शादी की रिवाज है जो पति के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर की जाती है। इसी दिन उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ भी थी।
- दुबई में रहने वाली उसकी बहिन ने उपर्युक्त अवसर पर ₹ 2 लाख मूल्य की हीरे की नेकलेस उपहार में दी।
- दि. 21-2-2019 को जब उसकी पुत्री की शादी हो रही थी उसके मित्र ने श्रीमती हिमाली के पक्ष में अपनी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी जमा जिस पर ब्याज सहित मूल्य ₹ 51,000 था, उसके नाम कर दी।

अन्य साधनों से आय के शीर्षक में करयोग्य आय (यदि कोई है) की गणना कीजिए।

उत्तर (Answer)

- किसी व्यक्ति को उसकी शादी के उपलक्ष्य पर प्राप्त राशि करमुक्त होती है। यह प्रावधान शादी के 25 वर्ष अथवा पति की आयु के 60 वर्ष पूरा होने पर किये जाने वाले आयोजन पर प्राप्त उपहार के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं।
गैर रिश्तेदार से प्राप्त ₹ 51,000 की नकद उपहार धारा 56(2)(x) के अधीन श्रीमती हिमाली के लिए कर योग्य है।
- किसी रिश्तेदार से कोई धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त करने पर धारा 56(2)(x) के प्रावधान

लागू नहीं होते हैं। अतः श्रीमती हिमाली की बहिन द्वारा दिया गया हीरे का नेकलेस जिसका मूल्य ₹ 2 लाख है श्रीमती हिमाली के लिए करयोग्य नहीं है। यद्यपि आभूषण सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल होते हैं।

- (iii) धारा 56(2)(x) की प्रभावशीलता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धन सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त होनी चाहिए न कि किसी व्यक्ति की पुत्री की शादी के उपलक्ष्य पर अतः इस धारा के अधीन विभुवित्त यहाँ लागू नहीं होगी।

किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त कोई राशि अथवा सम्पत्ति धारा 56(2)(vii) के अधीन करयोग्य होगी। किसी वित्त वर्ष में ऐसे प्राप्त धन का योग ₹ 50,000 से अधिक होता है। यद्यपि धारा 56(2)(vii) में "धन का योग" परिभाषित नहीं किया गया है।

अतः श्रीमती हिमाली के पक्ष में निर्दिष्ट (Assign) करने के पक्ष में दो सम्भव विचारधाराएं हो सकती हैं :

- (1) प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार जमाराशि 'धन के योग' शब्द की परिभाषा में नहीं आती हैं, अतः धारा 56(2)(x) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि स्थायी जमा 'सम्पत्ति' की परिभाषा में भी शामिल नहीं होते हैं।
- (2) तथापि, अन्य दृष्टिकोण यह हो सकता है कि स्थायी जमा को निर्दिष्ट करना 'धन का योग' की परिभाषा में शामिल मानकर करयोग्य माना जा सकता है।

'अन्य साधनों से आय' के रूप में करयोग्य आय (Income assessable as "Income from other sources")

यदि प्रथम दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य कुल राशि में ₹ 51,000 की वह राशि होगी जो पति की शष्टिपूर्ति के उपलक्ष्य पर प्राप्त हुई है। यदि दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाय तो धारा 56(2)(x) के प्रावधान के अनुसार स्थायी जमा के निर्दिष्ट करने की प्राप्ति भी अन्य साधनों से आय के रूप में करयोग्य होगी और इस प्रकार ₹ 1,03,000 (₹ 51,000 + ₹ 51,000) की आय हिमाली के लिए अन्य साधनों से आय के शीर्षक में करयोग्य होगी।

प्रश्न (Question) 5

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नांकित व्यवहारों का परीक्षण कीजिए:

- (i) श्री B ने R (प्रा.) लि. [R(P) Ltd.] के 500 समता अंश दि. 10-10-2019 को ₹ 3 लाख में मै. B कं. प्रा. लि. के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये जबकि इस दिन उनका उचित बाजार मूल्य ₹ 5 लाख था। श्री B के लिए इन अंशों के अधिग्रहण की सूचकांकित लागत ₹ 4,45,000 है। यह व्यवहार Security Transaction Tax के अधीन नहीं था।
श्री B के लिए करयोग्य आय की गणना करते हुए M/s B. Co. (P) Ltd. पर पड़ने वाले कर प्रभाव को भी समझाइए।
- (ii) श्री चेजियान एक कम्पनी में कर्मचारी है उनका करयोग्य वेतन ₹ 5 लाख है। उन्होंने आत्मा पुण्यार्थ न्यास से ₹ 1 लाख का नकद उपहार प्राप्त किया है। यह न्यास धारा 12AA के अधीन पंजीकृत है। सन्दर्भित उपहार दिसम्बर, 2019 में उनके चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए प्रदान किया गया है।
क्या न्यास से प्राप्त नकद उपहार श्री चेजियान के लिए कर योग्य है ?

उत्तर (Answer)

- (i) किसी व्यक्ति द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त कोई चल सम्पत्ति धारा 56(2)(x) में कर के लिए आदेय है, यदि सम्पत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य और प्रतिफल का अन्तर ₹ 50,000 से अधिक है।

इस प्रकार श्री B से मैसर्स बी कं. (सी) ली. द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त अंश ₹ 2,00,000 तक धारा 56(2)(x) में कर के लिए आदेय हो तो।

धारा 50CA के अनुसार, चूँकि, R(P) लि. के गैर-उद्धृत अंशों को उचित बाजार मूल्य प्रतिफल से कम होगा, कम्पनी के अंशों का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का कुल मूल्य माना जाएगा। यह माना जाता है कि R(P) लि. के अंश गैर-उद्धृत अंश होंगे।

चूँकि अंशों की सूचकांकित लागत (₹ 4,55,000) वास्तविक विक्रय प्रतिफल (₹ 5,00,000) बिहारी के लिए से कम है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55,000 की दीर्घकालीन पूँजी हानि होगी जिसकी पूर्ति वह अन्य किसी दीर्घकालीन पूँजीलाभ से कर सकता है।

- (ii) धारा 12AA के अधीन पंजीकृत किसी न्यास अथवा संस्थान से प्राप्त किसी राशि/सम्पत्ति की स्थिति में धारा 56(2)(x) के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं। अतः आत्मा पुण्यार्थ न्यास से प्राप्त ₹ 1 लाख की भेंट जो चिकित्सा व्ययों की पूर्ति हेतु दी गयी है, श्री चैजियान के लिए धारा 56(2)(x) के अधीन करयोग्य आय नहीं है।

आइए पुनः दोहराएं

(LET US RECAPITULATE)

यदि कोई आय, लाभ या अर्जन, जिसे करदाता की कुल आय में जोड़ा जाना है, किसी अन्य शीर्षक में शामिल नहीं किया जा सके, उसे 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य करेंगे। अतः यह आय का अवशेषी शीर्षक है। [धारा 56(1)]

शीर्षक में करयोग्य विशिष्ट आयें [धारा 56(2)] [Specific Incomes Chargeable under this head {Section 56(2)}]

- (1) लाभांश से आय।
- (2) आकस्मिक आय (लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजिल्स, दौड़ें जिसमें शामिल हैं घुड़दौड़, ताश के खेल, अन्य कोई खेल, कोई शर्त या जुआ आदि से जीत की राशि) ऐसी जीत की राशि धारा 115BB के अधीन 30% की दर से करयोग्य होती है और अध्याय VI-A के अधीन कोई व्यय या कटौती ऐसी आय से नहीं घटायी जा सकती है। ऐसी आय से किसी प्रकार की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है और प्रारम्भिक विमुक्ति की राशि को भी ऐसी आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।
- (3) व्यक्ति अथवा HUF द्वारा प्राप्त कोई राशि अथवा सम्पत्ति [धारा 56(2)(x)] [Sum of money or property received by an Individual or a Hindu undivided family {Section 56(2)(x)}]

	सम्पत्ति की प्रकृति	विवरण	करयोग्य मूल्य
1	मुद्रा	बिना प्रतिफल	यदि ₹ 50,000 से अधिक है, सम्पूर्ण करयोग्य
2	चल सम्पत्ति	बिना प्रतिफल	यदि सम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य ₹ 50,000 से

			अधिक है
3.	चल सम्पत्ति	अपर्याप्त प्रतिफल	प्रतिफल एवं कुल उचित बाजार मूल्य के मध्य अन्तर यदि ऐसा अन्तर ₹ 50,000 से अधिक है।
4	अचल सम्पत्ति	बिना प्रतिफल	यदि सम्पत्ति का मुद्रांक मूल्य यदि यह ₹ 50,000 से अधिक है।
5	अचल सम्पत्ति	अपर्याप्त प्रतिफल	मुद्रांक मूल्य एवं प्रतिफल के मध्य अन्तर राशि यदि ऐसा अन्तर ₹ 50,000 से अधिक है।

धारा 56(2)(x) की प्रयोज्यता से मुक्त प्राप्तियां [Receipts exempted from the applicability of section 56(2)(x)]

कोई राशि अथवा सम्पत्ति जो प्राप्त है :

- किसी रिश्तेदार से; या
- व्यक्ति की शादी के अवसर पर; या
- वसीयत या विरासत के अधीन; या
- किसी भी दानकर्ता/भुगतानकर्ता की मृत्यु की घड़ी में; या
- स्थानीय सत्ता से
- किसी कोष/विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्थान या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या किसी न्यास या प्रतिष्ठान से प्राप्त
- किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट या प्रतिष्ठान
- किसी कोष या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान
- धारा 47 के निर्दिष्ट खंड के तहत स्थानांतरण के रूप न माने जाने वाली लेनदेन के धारा
- व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाई या स्थापित ट्रस्ट के द्वारा व्यक्ति से प्राप्त।
- व्यक्तियों की श्रेणी से और ऐसी शर्तों के अनुसार, जैसा भी निर्दिष्ट हो।

(4) इस शीर्षक में कर योग्य अन्य प्राप्तियां

धारा	प्रावधान
56(2)(viib)	किसी निकटस्थ धारित कम्पनी द्वारा किसी निवासी व्यक्ति को अंशों के आबंटन पर प्राप्त प्रतिफल की राशि FMV से से अधिक है, उसे कम्पनी की आय माना जाएगा, यदि आबंटन प्रीमियम पर किया गया है।
56(2)(viii)	किसी क्षतिपूर्ति/बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज उस वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष में प्राप्त हुई है और 'अन्य साधनों के आय' शीर्षक में करयोग्य होगी।
56(2)(ix)	किसी सम्पत्ति के अन्तरण की सौदेबाजी के दौरान कोई राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त होती है और सौदा पूरा नहीं होने के कारण अग्रिम राशि जब्त कर ली जाती है।

56(2)(xi)	कोई क्षतिपूर्ति या अन्य भुगतान जो प्राप्त होने वाला हो या हो गया हो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी नाम से कहा जाए, रोजगार अंत होने या उससे सम्बन्धित नियम तथा शर्तों में परिवर्तन के सम्बन्ध में।
-----------	--

स्वीकृत कटौतियां [धारा 57] [Deduction allowable (Section 57)]

क्र.सं.	विवरण	कटौती
1.	लाभांश (धारा 115-O के अधीन लाभांश को छोड़कर)	बैंकर या अन्य किसी व्यक्ति को दलाली या पारिश्रमिक के द्वारा चुकता उचित वसूली राशि
2.	कर्मचारी से वापसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि आदि में योगदान के रूप में वह आय में सम्मिलित है।	धारा 36(1)(va) के अनुसार सम्बन्धित कानूनों में दी गई देय तिथि से पहले दी गई योगदान राशि
3.	उपकरण, कारखाना तथा फर्नीचर को भवन या उसके बिना किराए पर देने से आय	उपकरण, कारखाना, फर्नीचर या भवन की मरम्मत, बीमा अधिमूल्य, अपवर्ष/अनावशोषित मूल्य ह्रास
4.	पारिवारिक पेंशन धनराशि के बराबर	$33\frac{1}{3}\%$ पेंशन राशि या ₹ 15,000 जो कम हो
5.	क्षतिपूर्ति/बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज	ऐसी ब्याज की 50% राशि

अस्वीकृत कटौतियां [धारा 58] [Deductions not allowable (Section 58)]

क्र.सं.	कटौती स्वीकार्य नहीं
1.	करदाता का व्यक्तिगत खर्च।
2.	कोई ब्याज जो भारत के बाहर चुकाया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है और उसका TDS नहीं काटा गया है।
3.	कोई राशि जिस पर भारत में वेतन के रूप में कर लगना है अगर उसका भुगतान भारत के बाहर हुआ हो एवं उस पर कर न दिया हो। या मूल से काटा न गया हो।
4.	सम्बन्धी को दिया गया भुगतान किये कर निर्धारण अधिकारी FMV की अपेक्षा अधिक या बिना कारण के खर्चा मानता है।
5.	धारा 40A के तहत शामिल अदाता खाता चेक, ड्राफ्ट या ईजीएस द्वारा बैंक खाते के अलावा सम्बन्धी या सहयोगी उद्यम को भुगतान और एक दिन में व्यक्ति को ₹ 10,000 से अधिक का भुगतान या कुल भुगतान
6.	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजिल्स, दौड़ें जिसमें शामिल हैं घुड़दौड़, ताश के खेल अन्य कोई खेल, कोई शर्त या जुआ आदि से जीत की राशि से संबंधित कोई व्यय या भत्ता
7.	व्यय की 30% कटौती निवासी को देय राशि के संबंध में जिसमें कर स्रोत पर कटना है यदि धारा 139(1) में निर्दिष्ट रिटर्न की देय तिथि पर या पहले ऐसे कर को नहीं काटा गया है या काटने के बाद भुगतान नहीं किया गया है।

अपनी बुद्धि जांचें

(Test Your Knowledge)

1. फर्नीचर, प्लांट व मशीनरी की किराए से आय है :
 - (a) 'व्यापार पेशे से मुनाफा और लाभ' के अन्तर्गत सर्वदा करयोग्य।
 - (b) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में हमेशा करयोग्य
 - (c) 'अन्य स्रोतों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य यदि शीर्षक 'व्यापार व पेशे से मुनाफा और लाभ' के अन्तर्गत करयोग्य न हो।
 - (d) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में हमेशा करयोग्य।
2. लॉटरी, वर्ग पहली या दौड़ जिसमें घुड़दौड़ सम्मिलित है या ताश के खेल आदि से जीत
 - (a) अध्याय VI-A में कोई कटौती नहीं मिलेगी परन्तु मूल छूट समाप्त नहीं हो सकती।
 - (b) अध्याय VI-A में कोई कटौती नहीं मिलेगी परन्तु असमाप्त मूल छूट समाप्त हो सकती है।
 - (c) अध्याय VI-A में कटौती तथा मूल छूट दोनों मिलेंगी।
 - (d) अध्याय VI-A में कटौती मिलेगी परन्तु मूल छूट समाप्त नहीं हो सकती।
3. अन्य स्रोतों से आय के अन्तर्गत 'पारिवारिक पेंशन' के सम्बन्ध में कटौती :
 - (a) पेंशन की $33\frac{1}{3}\%$
 - (b) पेंशन की 30% या ₹ 15,000 जो भी कम हो।
 - (c) पेंशन की $33\frac{1}{3}\%$ या ₹ 15,000 जो भी कम हो।
 - (d) पेंशन की 30%
4. 10.10.2019 को श्री कश्यप ने अपने मित्र से ₹ 15,00,000 में भवन लिया। खरीद की तिथि पर भवन का मुद्रांक शुल्क मूल्य ₹ 15,70,000 है। श्री कश्यप के लिए आय जो कर आदेय है—
 - (a) ₹ 70,000
 - (b) ₹ 50,000
 - (c) Nil
 - (d) ₹ 20,000
5. गणेश अपनी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर अपने मित्र से ₹ 60,000 प्राप्त करता है :
 - (a) सम्पूर्ण ₹ 60,000 करयोग्य है।
 - (b) केवल ₹ 50,000 करयोग्य है।
 - (c) सम्पूर्ण राशि कर मुक्त है।
 - (d) ₹ 10,000 करयोग्य है।

6. मि A आयुवर्ग 61 वर्ष ने P.Y. 2019-20 में घरेलू कम्पनी से ₹ 12,00,000 का लाभांश प्राप्त किया। धारा 115 BBDA के तहत कर योग्य है—@10% पर—
- संपूर्ण राशि ₹ 12,00,000 पर
 - ₹ 2,00,000
 - शून्य
 - ₹ 9,00,000
7. व्यक्ति द्वारा घरेलू कम्पनी से ₹ 10,00,000 से अधिक का लाभांश प्राप्त करने के सम्बन्ध में :
- अध्याय VI-A के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं, लेकिन अन्य शीर्षक के तहत नुकसान को ऐसी आय के विरोध समायोजन किया जा सकता है।
 - अध्याय VI-A के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं लेकिन ऐसी आय के विरुद्ध कोई नुकसान का समायोजन नहीं।
 - दोनों अध्याय VI-A के तहत कटौती और ऐसी आय के विरुद्ध नुकसान का समायोजन स्वीकार्य है।
 - अध्याय VI-A के तहत कटौती स्वीकार्य है लेकिन अन्य शीर्षक के तहत ऐसी आय के विरुद्ध नुकसान का समायोजन स्वीकार्य नहीं है।
8. श्री Y के रिश्तेदारों से 24.10.2019 को अपनी शादी के अवसर पर ₹ 51,000 की मिली है :
- संपूर्ण ₹ 51,000 कर योग्य है।
 - केवल ₹ 1,000 कर योग्य है।
 - संपूर्ण 51,000 कर युक्त है।
 - केवल 50% यानि ₹ 25,500 कर योग्य है।
9. श्री मयंक ने 24.10.2019 को अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर अपने दोस्त से ₹75,000 की राशि प्राप्त की :
- संपूर्ण ₹ 75,000 कर योग्य है।
 - संपूर्ण ₹ 75,000 कर मुक्त है।
 - केवल ₹ 25,000 कर योग्य है।
 - केवल 50% यानि ₹ 37,500 कर योग्य है।
10. पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,50,000 के बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के संबंध में कटौती होगी—
- ₹ 1,50,000, 1,50,000 का ₹ 100% है।
 - ₹ 75,000, ₹ 1,50,000 का 50% है।
 - ₹ 45,000, ₹ 1,50,000 का ₹ 30% है।
 - शून्य

11. करन के बैंक खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित जमा दिख रहे हैं। करन (उम्र 45 वर्ष) की A.Y. 2020-21 में कुल आय की गणना करें। यह मानकर कि उसे मकान सम्पत्ति से ₹ 62,000 की आय हुई है।

(i) एक्सटर्डम में उसकी बहन से उपहार	₹ 2,30,000
(ii) उसके दोस्त से उसके जन्मदिन पर उपहार	₹ 10,000
(iii) विभिन्न भारतीय कम्पनी के अंशों से लाभांश	₹ 12,600
(iv) उसकी सगाई पर माँ के दोस्त से उपहार	₹ 25,000
(v) उसके मंगेतर से उपहार	₹ 75,000
(vi) बैंक जमा पर ब्याज (स्थिर जमा)	₹ 25,000

12. श्रीमती लक्ष्मी ने निम्नांकित व्यवहार आपको रिपोर्ट किए हैं :

- (i) अपनी शादी के समय दि. 18-7-2019 को ₹ 1,20,000 नकद प्राप्त किए जिसमें ₹ 20,000 गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल है।
- (ii) दि. 1-8-2019 को, उसके जन्मदिवस पर, उसे ममिया श्वसुर ने चेक द्वारा ₹ 40,000 का उपहार दिया।
- (iii) दि. 1-12-2019 को उसने एक खाली भूखण्ड अपने मित्र से ₹ 1,05,000 में खरीदा। मुद्रांक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उसका निर्धारित मूल्य ₹ 1,80,000 था।
- (iv) एक अन्य मित्र से उसने सूचीकृत कं. के अंश ₹ 60,000 में क्रय किए। उन दिन स्टॉक एक्सचेंज में उनका मूल्य ₹ 1,15,000 था।

श्रीमती लक्ष्मी के लिए AY 2020-21 के लिए करयोग्य राशि का निर्धारण कीजिए।

उत्तर (Answer)

1. (c), 2. (a), 3. (c), 4. (c), 5. (a), 6. (b), 7. (b),
8. (c), 9. (a), 10. (b) 11. ₹ 1,97,000 12. ₹ 1,30,000